

[2024] 2 एस. सी. आर 946:2024 आईएनएससी 150

उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन, इलाहाबाद

बनाम

यू. पी. राज्य और अन्य

2023 की आपराधिक अपील संख्या 3589/29 फरवरी 2024

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, अभय एस. ओका*, जे. बी.

पारदीवाला, मनोज मिश्रा और पंकज मित्तल*, न्यायाधीशगण]

विचार के लिए मुद्दा

अंतरिम आदेश पारित करने के पीछे क्या उद्देश्य है; क्या उच्च न्यायालयों को अंतरिम राहत को खाली करने या संशोधित करने का अधिकार है; क्या कोई अंतरिम आदेश केवल समय बीतने के कारण स्वचालित रूप से समाप्त हो सकता है; संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग का दायरा क्या है, उच्च न्यायालयों की स्थिति और उनकी अधीक्षण की शक्ति; क्या न्यायालय को किसी ऐसे मुद्दे से निपटना चाहिए जो विचार के लिए उत्पन्न नहीं होता है; संवैधानिक न्यायालयों द्वारा लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए जारी किए गए निर्देशों का प्रभाव; क्या सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के, अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर दीवानी और आपराधिक मामलों की कार्यवाही पर रोक लगाने के उच्च न्यायालयों के सभी अंतरिम आदेशों को स्वचालित रूप से समाप्त करने का आदेश दे सकती है; क्या सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान की धारा 142, अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए। उच्च न्यायालयों को उन लंबित मामलों पर निर्णय लेने का निर्देश दे

सकती है जिनमें कार्यवाही पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश दिन-प्रतिदिन के आधार पर और एक निश्चित अवधि के भीतर दिए गए हैं; कार्यवाही पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश को पारित करते समय और अंतरिम रोक को खाली करने के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।

हेडनोट्स

अंतरिम आदेश- का उद्देश्य:

अभिनिर्धारित किया: द्वारा (अभय एस. ओका न्यायाधीश अपने लिए और डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जे. बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा, न्यायाधीशगण) अंतरिम राहत का आदेश आमतौर पर मामले में मांगी गई अंतिम राहत की सहायता में दिया जाता है-कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश पारित करने का अवसर आम तौर पर तब उत्पन्न होता है जब उच्च न्यायालय मुख्य मामले के लंबित रहने के दौरान पारित अंतरिम या अंतर्वर्ती आदेश को किसी परीक्षण या अपीलीय न्यायालय के समक्ष चुनौती दे रहा होता है-उच्च न्यायालय मुख्य कार्यवाही की सुनवाई पर रोक से राहत इस बात से संतुष्ट होने पर दे सकता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है और संबंधित न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने में विफलता सभी संभावनाओं में अपनाए गए उपचार को फलहीन बना सकती है-जब उच्च न्यायालय रोक का अंतरिम आदेश पारित करता है, हालांकि अंतरिम आदेश स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कह सकता है, तो तीन कारक, अर्थात्; प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति और सुविधा का संतुलन, हमेशा न्यायाधीशों के दिमाग में होते हैं-हालांकि कार्यवाही पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश स्वाभाविक रूप से नियमित रूप से पारित नहीं किए जा सकते हैं, यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे आदेश केवल अपवादात्मक मामलों में ही पारित किए जा सकते हैं-फिर भी, उच्च न्यायालयों को पीसी अधिनियम के तहत अपराधों

या महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों के मामलों में रोक के आदेश पारित करते समय अधिक सतर्क और चौकस रहना चाहिए। [पैरा 13]

अंतरिम आदेश-क्या उच्च न्यायालयों को अंतरिम राहत को खाली करने या संशोधित करने का अधिकार है:

अभिनिर्धारित किया: (द्वारा अभय एस. ओका, न्यायाधीश अपने लिए और डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जे. बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा, न्यायाधीशगण) उच्च न्यायालयों को हमेशा अन्य आधारों के साथ-साथ निम्नलिखित पक्षों को सुनने के बाद पारित अंतरिम राहत के आदेश को खाली करने या संशोधित करने का अधिकार है:- (ए) यदि कोई वादी, रोक का आदेश प्राप्त करने के बाद, जानबूझकर या तो अनुचित आधार पर स्थगन की मांग करके या अनुपस्थित रहकर कार्यवाही में देरी करता है, जब मुख्य मामला जिसमें अंतरिम राहत दी जाती है, उसे रोक के आदेश का अनुचित लाभ उठाने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए बुलाया जाता है; (बी) उच्च न्यायालय पाता है कि अंतरिम राहत का आदेश या तो उस पक्ष द्वारा भौतिक तथ्यों को दबाने या गलत तरीके से प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप दिया जाता है, जिसके पक्ष में रोक का अंतरिम आदेश दिया गया है; और (सी) उच्च न्यायालय को पता चलता है कि पहले पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में एक भौतिक परिवर्तन है-किसी दिए गए मामले में, समय का एक दीर्घ अंतराल परिस्थितियों में एक भौतिक परिवर्तन हो सकता है-ये आधार सम्पूर्ण नहीं है-स्थगन के आदेश को खाली करने के वास्ते दूसरे वैध आधार हो सकते हैं। [कंडिका-15]

अंतरिम आदेश-क्या कोई अंतरिम आदेश केवल समय बीतने के कारण स्वचालित रूप से समाप्त हो सकता है:

अभिनिर्धारित किया: (अभय एस. ओका न्यायाधीश अपने लिए और डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जे. बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा, न्यायाधीशगण) प्राकृतिक न्याय के प्रारंभिक सिद्धांत, जो न्यायशास्त्र में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त हैं, आदेश देते हैं कि अंतरिम राहत को खाली करने या अंतरिम राहत में संशोधन का आदेश सभी प्रभावित पक्षकार की सुनवाई के बाद ही पारित किया जाता है। लाभार्थी के आदेश को सुने बिना पारित अंतरिम राहत को खाली करने का आदेश न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है-दिमाग का उपयोग किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है-इसलिए, दिमाग के उपयोग के बिना, अंतरिम रोक का आदेश केवल समय बीतने के आधार पर खाली नहीं किया जा सकता है जब वादी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है-सभी प्रतिद्वंद्वी पक्षों को सुनने के बाद अदालत द्वारा कानूनी रूप से पारित एक अंतरिम आदेश को केवल लंबे समय बीतने के कारण अवैध नहीं माना जाता है। [पैरा 16]

भारत का संविधान-संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग का दायरा क्या है:

अभिनिर्धारित किया: (द्वारा अभय एस. ओका न्यायाधीश अपने लिए और डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जे. बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा, न्यायाधीशगण) भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण मानदंड जो संदर्भ तय करने के लिए प्रासंगिक हैं, वे इस प्रकार हैं: (i) न्यायालय के समक्ष पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है-इसका उपयोग उनके पक्ष में वैध रूप से पारित न्यायिक आदेशों के आधार पर बड़ी संख्या में वादियों के पक्षकार नहीं हैं जो इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही द्वारा प्राप्त लाभों को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता है (ii) अनुच्छेद 142 इस न्यायालय को वादियों के मूल अधिकारों की अनदेखी करने का अधिकार नहीं देता है; (iii) भारत के संविधान की धारा 142 के तहत

अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय। , यह न्यायालय हमेशा न्यायालयों को प्रक्रियात्मक पहलुओं को सुव्यवस्थित करने और मामलों का शीघ्र और समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक कानूनों में खामियों को दूर करने के लिए प्रक्रियात्मक निर्देश जारी कर सकता है-हालांकि, ऐसा करते समय, यह न्यायालय उन वादियों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता है जो उसके समक्ष मामले में पक्षकार नहीं हैं-प्रतिकूल आदेश पारित होने से पहले सुनवाई का अधिकार प्रक्रिया का विषय नहीं है, बल्कि एक मूल अधिकार है; और (iv) अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय का प्रयोग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों जो न्यायशास्त्र का एक अभिन्न अंग हैं। को पराजित करने के वास्ते नहीं किया जा सकता है।
[पैरा 37]

भारत का संविधान-उच्च न्यायालयों की स्थिति और उनकी अधीक्षण की शक्तियाँ:

अभिनिर्धारित किया: (द्वारा अभय एस. ओका न्यायाधीश अपने लिए और डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जे. बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा, न्यायाधीशगण) उच्च न्यायालय एक संवैधानिक न्यायालय भी है-यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यह न्यायिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है-एक उच्च न्यायालय संवैधानिक रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय से स्वतंत्रता है-संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति कि अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर न्यायिक पर्यवेक्षण में ऐसे न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की शक्ति शामिल होगी-भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग में एक आवृत निर्देश द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय एक बार में केवल छह महीने के लिए वैध अंतरिम आदेश पारित करने के लिए अपनी अधिकारिता को सीमित करके अंतरिम राहत देने के उच्च न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है-उच्च न्यायालय की शक्ति पर इस तरह की बाधाओं को डालना संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में

निशान लगाने के बराबर होगा, जो एक आवश्यक विशेषता है जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। [पैरा 23 और 24]

अभ्यास और प्रक्रिया-क्या न्यायालय को किसी ऐसे मुद्दे से निपटना चाहिए जो विचार के लिए उत्पन्न नहीं हो रहा है:

अभिनिर्धारित किया: (अभय एस. ओका न्यायाधीश अपने लिए और डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जे. बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा, न्यायाधीशगण) संजीव कोक मैनुफैक्चरिंग कंपनी के मामले में, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने कहा कि (न्यायाधीशगण) संवैधानिक नीति के गंभीर और अस्पष्ट मुद्दों पर बिना युद्ध की रेखाओं को ठीक से बनाए असम्मिलित घोषणाएं करने के लिए अधिकृत नहीं हैं-न्यायिक घोषणाएं बेदाग कानूनी अवधारणाएं नहीं हो सकती हैं-लेकिन यह सही है कि कानून के किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर निर्णय किसी भी आरे से उचित रूप से व्यवस्थित पक्षों के मध्य उचित फैसले एवं लड़ाई के बगैर नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के लिए उन समस्याओं पर ध्यान देना और उन पर राय व्यक्त करना अनुचित है जो उत्पन्न नहीं होती हैं। [पैरा 25]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 226 (3)-अंतरिम राहत को खाली करने के लिए आवेदन करना:

अभिनिर्धारित किया: (द्वारा अभय एस. ओका के न्यायाधीश अपने लिए और डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जे. बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा, न्यायाधीशगण) इसके सरल से पठन, खंड (3) केवल तभी लागू होता है जब एक अंतरिम राहत विपरीत पक्ष को सहायक दस्तावेजों के साथ रिट याचिका की एक प्रति प्रस्तुत किए बिना और विपरीत पक्ष को सुने बिना दी जाती है-यह मानते हुए भी कि खंड (3) निर्देशिका नहीं है, यह अंतरिम राहत का एक स्वचालित अवकाश प्रदान करता है केवल तभी जब पीड़ित पक्ष अंतरिम राहत खाली करने के लिए आवेदन करता है और जब ठहराव खाली करने के लिए आवेदन पर निर्दिष्ट समय के भीतर सुनवाई नहीं होती है-खंड (3) तब लागू नहीं होगा जब अनुच्छेद

226 के तहत एक रिट याचिका में एक अंतरिम आदेश सभी संबंधित पक्षों पर रिट याचिका की एक प्रति की तामीला के बाद और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के बाद पारित की जाती है-यह केवल एकतरफा विज्ञापन अंतरिम आदेश पर लागू होता है। [पैरा 26] **द्वारा न्यायमूर्ति पंकज मित्तल** के अनुसार (सहमति) यह ध्यान देने योग्य है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (3) के तहत स्थगन आदेश को स्वतः समाप्त करने में अंतरिम स्थगन आदेश को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करने की परिकल्पना की गई है-इसलिए, स्थगन आदेश को खाली करने के लिए आवेदन दायर करना अनुच्छेद 226 (3) के तहत स्थगन आदेश को स्वचालित रूप से समाप्त करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, यदि इस तरह के आवेदन पर दो सप्ताह के निर्धारित समय के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है। [पैरा 6]

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश-लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से तय करने के लिए संवैधानिक न्यायालयों द्वारा जारी किए गए निर्देशों का प्रभाव-उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एशियन रिसर्फेसिंग में विभिन्न निर्देश जारी किए-एशियन रिसर्फेसिंग के पैराग्राफ 36 और 37 में जारी किए गए निर्देशों का वास्तविक प्रभाव यह है कि जिस याचिका में उच्च न्यायालय ने मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है, उस पर अधिकतम छह महीने की अवधि के भीतर फैसला किया जाना चाहिए-यदि इसका फैसला छह महीने के भीतर नहीं किया जाता है, तो अंतरिम रोक स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगी, जिससे लंबित मामला वस्तुतः निष्फल हो जाएगा:

अभिनिर्धारित किया: (द्वारा अभय एस. ओका न्यायाधीश अपने लिए और डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जे. बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा, न्यायाधीशगण) सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठों ने अब्दुल रहमान अंतुले और पी. रामचंद्र राव के मामलों में मामलों के निपटारे के लिए समय-सीमा तय करने के मुद्दे पर विचार किया है-

निर्णय में निर्धारित सिद्धांत निचली अदालतों के समक्ष दीवानी मामलों पर भी लागू होंगे- वही सिद्धांत उच्च न्यायालयों को दैनिक आधार पर या एक विशिष्ट समय के भीतर मामलों का फैसला करने के लिए जारी किए गए निर्देश पर भी लागू होंगे-इस प्रकार, अदालत के निर्देश जो रोक के आदेश को स्वचालित रूप से समाप्त करने और उन सभी मामलों के निपटारे का प्रावधान करते हैं जिनमें दिन-प्रतिदिन के आधार पर रोक दी गई है, वस्तुतः न्यायिक कानून के बराबर है-इस अदालत के अधिकार क्षेत्र का उपयोग ऐसा न्यायिक कानून बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है-केवल विधायिका ही यह प्रावधान कर सकती है कि किसी विशेष श्रेणी के मामलों का निपटारा एक निर्दिष्ट समय के भीतर किया जाना चाहिए। ऐसे कई कानून हैं जो ऐसे प्रावधानों को शामिल करते हैं-हालांकि मैं सभी प्रावधान अक्सर निरेशिका कहते हैं-इस तथ्य पर एक न्यायिक ध्यान देना होगा कि बड़ी क्षमता वाले सभी उच्च न्यायालय जिनकी बड़े राज्यों में क्षेत्राधिकार है, उपरोक्त श्रेणियों के अलग पीठों के वादों का दैनिक वाद सूची सौ विषयों से अधिक के हैं-अतः एक वाद पर उच्च न्यायालय द्वारा विचारण के पश्चात् यदि स्थगन (आदेश) प्रदत्त किया जाता है, तो वाद की एक लंबी आयु होती है उच्च न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि प्राथमिकता के आधार पर या दिन-प्रतिदिन के आधार पर केवल उन मामलों निर्णय लें जिनमें कई अन्य श्रेणियों के मामलों की अनदेखी करते हुए कार्यवाही पर रोक दी गई है, एवं जिन्हें अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता हो सकती है-इसलिए, संवैधानिक न्यायालयों को आम तौर पर किसी भी न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक समयबद्ध अनुसूची निर्धारित नहीं करनी चाहिए-उच्च न्यायालयों सहित प्रत्येक न्यायालय में लंबित मामलों की विभिन्न श्रेणियों का प्रतिरूप अलग है-जमीनी स्तर पर स्थिति संबंधित न्यायालयों के न्यायाधीशों को बेहतर पता है-इसलिए, कुछ मामलों को बारी के बाहर प्राथमिकता देने का मुद्दा सबसे अच्छा संबंधित न्यायालयों पर छोड़ दिया जाना चाहिए-मामलों के निपटारे के लिए बाहरी

सीमा निर्धारित करने वाले आदेश केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही पारित किए जाने चाहिए ताकि असाधारण स्थितियों का सामना किया जा सके। [पैरास 28,29,30,32,33]

भारत का संविधान-अंतरिम आदेश-(i) क्या सर्वोच्च न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर दीवानी और आपराधिक मामलों की कार्यवाही पर रोक लगाने के उच्च न्यायालयों के सभी अंतरिम आदेशों को स्वचालित रूप से समाप्त करने का आदेश दे सकता है; (ii) क्या उच्चतम न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालयों को उन लंबित मामलों पर निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है जिनमें कार्यवाही पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश दिन-प्रतिदिन के आधार पर और एक निश्चित अवधि के भीतर दिए गए हैं:

अभिनिर्धारित किया: (द्वारा अभय एस. ओका न्यायाधीश अपने लिए और डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जे. बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा, न्यायाधीशगण) उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एशियन रिसर्फेसिंग के मामले का फैसला किया और पैराग्राफ 36 और 37 में निर्देश जारी किए-पैराग्राफ 36 में जारी किया गया निर्देश स्थगन को स्वचालित रूप से समाप्त करने के संबंध में था एवं कंडिका 37 में निर्देश जो एक समय सीमा के भीतर दिन-प्रतिदिन की सुनवाई करने के लिए था-न्यायाधीशों की वर्तमान पीठ तीन न्यायाधीशों की पीठ से सहमत नहीं है जिसने एशियन रिसर्फेसिंग के मामले का फैसला किया और पैराग्राफ 36 और 37 में निर्देश जारी किए-दोनों निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में जारी किए गए थे-उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक को स्वचालित रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है-उन सभी मामलों पर निर्णय लेने के लिए (एशियन रिसर्फेसिंग के मामले में) जारी किया गया निर्देश जिसमें एक अंतरिम रोक दिन-प्रतिदिन के आधार पर एक समय ढांचा के भीतर भी

स्वीकार नहीं किया गया है-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्याय-अधिकार का प्रयोग आवृत निवेश में जारी नहीं किया जा सकता है। [कंडिकाएँ 12,36]

अंतरिम आदेश-स्थगन आदेश स्वचालित रूप से खाली नहीं किया जा सकता है:

अभिनिर्धारित किया: द्वारा पंकज मित्तल, न्यायाधीश (सहमत): किसी भी कार्यवाही में दिया गया स्थगन आदेश स्वचालित रूप से किसी विशेष अवधि की समाप्ति पर तब तक खाली नहीं होगा जब तक कि उस प्रभाव के लिए एक आवेदन दूसरे पक्ष द्वारा दायर नहीं किया जाता है और एक बोलने वाले आदेश द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए निर्णय लिया जाता है-न्याय के हित में यह प्रावधान करना समीचीन है कि किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही में एक बार दिया गया एक तर्कपूर्ण स्थगन आदेश, यदि समयबद्ध होने के लिए निर्दिष्ट नहीं है, तो मुख्य मामले के निर्णय तक या तब तक और जब तक कोई आवेदन उसके अवकाश के लिए स्थानांतरित नहीं किया जाता है संचालन में रहेगा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए एक बोलने वाला आदेश पारित नहीं किया जाता है या तो उसे बढ़ाने, संशोधित करने, बदलने या खाली करने के लिए। [पैरा 7 और 8]

अभ्यास और प्रक्रिया-कार्यवाही पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश को पारित करते समय और अंतरिम रोक को खाली करने के लिए आवेदनों से निपटने के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया:

अभिनिर्धारित किया: (द्वारा अभय एस. ओका न्यायाधीश अपने लिए और डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जे. बी. पारदीवाला, मनोज मिश्रा, न्यायाधीशगण) किसी भी पूर्वाग्रह से बचने के लिए, प्रभावित पक्षों को सुने बिना एकतरफा अंतरिम राहत देते समय, उच्च न्यायालयों को आम तौर पर एक सीमित अवधि के लिए अंतरिम राहत देनी चाहिए-प्रतिद्वंद्वी पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय पहले के अंतरिम आदेश की पुष्टि कर सकता है या नहीं भी कर सकता है-एक बार दी गई अंतरिम राहत, संबंधित न्यायालय द्वारा

विचारण के आवेदन के बाद ही खाली या पुष्टि की जा सकती है-इसलिए, अदालतों को अंतरिम राहत के लिए अनुरोध की सुनवाई को आवश्यक प्राथमिकता देनी चाहिए जहां अंतरिम राहत दी गई है-हालांकि उच्च न्यायालय से रोक या अंतरिम राहत देने के अनुरोध पर विचार करते समय विस्तृत कारण दर्ज करने की उम्मीद नहीं की जाती है, आदेश को प्रासंगिक कारकों पर विचारण के आवेदन का पर्याप्त संकेत देना चाहिए- प्रतिद्वंदी पक्षों की सुनवाई के पश्चात् पारित एक अंतरिम आदेश उच्च न्यायालय द्वारा उस पक्ष को जिसको अंतरिम राहत की प्रार्थना प्रदत्त की गई है को सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर दिए बगैर खाली नहीं की जा सकती है। दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरान्त भले ही अंतरिम राहत प्रदत्त की गई हो, जैसा कि पूर्व में अवलोकित है, उपलब्ध आधारों पर व्यथित पक्ष को उसे खाली करने के लिए आवेदन करने से नहीं रोका जा सकता है। ऐसे वाद में, स्थगन को खाली करने के वास्ते उच्च न्यायालय को सुनवाई के आवेदनों को आवश्यक प्राथमिकता देनी चाहिए, अगर मुख्य वाद को सुनवाई के लिए तुरंत स्वीकार नहीं किया जा सकता है-अंतरिम राहतों को खाली करने के लिए आवेदनों को बेहद लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता है। [पैरास 34 एवं 35]

मामला कानून उद्धृत किया गया

एशियाई रिसर्फेसिंग का रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड और एवं अन्य का एशियन रीसर्फेसिंग बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, [2018] 2 एससीआर 1045:(2018) 16 एस. सी. सी. 299-पुनर्विचारित।

प्रेम चंद गर्ग और एक अन्य बनाम उत्पाद-शुल्क आयुक्त, यू. पी. और अन्य [1963] पूरक। 1 एससीआर 885:(1962) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 37; सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ और एक अन्य [1998] 2 एससीआर 795:(1998) 4 एस. सी. सी. 409; एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य, [1997] 2 एससीआर 1186:(1997)

3 एससीसी 261; संजीव कोक विनिर्माण कंपनी बनाम मेसर्स भारत कोकिंग कोल लिमिटेड एवं एक अन्य, [1983] 1 एस. सी. आर. 1000:(1983) 1 एस. सी. सी 147; अब्दुल रहमान अंतुले और अन्य बनाम आर. एस. नायक और एक अन्य [1991] पूरक 3 एससीआर 325:(1992) 1 एस. सी. सी 225; पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य, [2002] 3 एससीआर 60:(2002) 4 एस. सी. सी. 578 अनुपालन किया।

आयकर उपायुक्त और एक अन्य बनाम पेप्सी फूड्स लिमिटेड, [2021] 4 एससीआर 1: (2021) 7 एससीसी 413; तिरुपति बालाजी डेवलपर्स (पी) लिमिटेड और अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, [2004] पूरक। 1 एससीआर 494:(2004) 5 एस. सी. सी. 1-निर्भर किया।

मोहन लाल मगन लाल ठाकरे बनाम गुजरात राज्य, [1968] 2 एससीआर 685:ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 733; रजा बुलंद शुगर कं. लिमिटेड बनाम नगरपालिका बोर्ड, रामपुर, [1965] 1 एस. सी. आर. 970:ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 895; कैलाश बनाम नन्हकू और अन्य, [2005] 3 एससीआर 289:(2005) 4 एस. सी. सी. 480; देवराज बनाम राज्य महाराष्ट्र राज्य और अन्य, [2004] 3 एससीआर 920:(2004) 4 एससीसी 697; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ भारत और अन्य [2002] 2 एससीआर 712:(2002) 4 एससीसी 247; इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, [2017] 1 एससीआर 305:(2017) 3 एस. सी. सी. 658-संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान; संविधान (44 वां संशोधन) अधिनियम, 1978; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988; आयकर अधिनियम, 1961

मुख्य शब्दों की सूची

अंतरिम आदेश; अंतरिम राहत का परित्याग या संशोधन; अंतरिम राहत की स्वतः समाप्ति; समय का अंत; सर्वोच्च न्यायालय के आज्ञाप्ति खोज, आदि के बारे में आदेश, और आदेशों का प्रवर्तन और खोज, आदि; उच्च न्यायालयों के अंतरिम आदेश; कार्यवाही पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश; दिन-प्रतिदिन आधारित सुनवाई; उच्च न्यायालयों की स्थिति; उच्च न्यायालय की अधीक्षण की शक्ति; विचार के लिए उत्पन्न नहीं होने वाला मुद्दा; लंबित मामलों का समयबद्ध तरीके से निर्णय लेना; संवैधानिक न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का प्रभाव; अंतरिम आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया; अंतरिम रोक को खाली करने के लिए आवेदन।

से उत्पन्न मामला

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: 2023 की आपराधिक अपील सं. 3589

के साथ

विशेष अनुमति याचिका (अपराधिक) 2023 की सं. 13284-13289 और आपराधिक अपील 2023 की डायरी संख्या 49052

2019 के ए. 482 नंबर 28574 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के निर्णय और आदेश दिनांक 03.11.2023 से

दलों के लिए उपस्थिति

राकेश द्विवेदी, वी. के. शुक्ला, कविन गुलाटी, एस. जी. हसनैन, रवींद्र सिंह, दिनेश गोस्वामी, वरिष्ठ अधिवक्ता, शांतनु कृष्ण, नितिन शर्मा, निखिल शर्मा, एकलव्य द्विवेदी, शांतनु सागर, अनुकूल राज, अंकित मिश्रा, हरमीत सिंह रूपरा, अभिनव श्रीवास्तव, मनु यादव, हिमांशु त्यागी, कुमार आयुष, रोनक चतुर्वेदी, राम कौशिक, सैयद मोहम्मद फजल, अर्चित मंध्यन,

रमन यादव, प्रभात रंजन राज, सिद्धार्थ सारथी, अनिल कुमार, गुंजेश रंजन, अनिमेश त्रिपाठी, अनंत प्रकाश, श्रीमती कनुप्रिया मिश्रा, अमित कुमार सिंह, सलिल श्रीवास्तव, शौर्य वर्धन सिंह, अंकित द्विवेदी, श्रीमती मुक्ति चौधरी, ज्ञानेंद्र कुमार, श्रीमती विजया सिंह, शाश्वत आनंद, अपूर्व मिश्रा, शशांक शुक्ल, आशुतोष ठाकुर, वैभव जैन, रितुवेंद्र सिंह, अनिरुद्ध कुमार, राजश्री गुप्ता, इमरान अल्लाह, तरुण अग्रवाल, अंकित शरण, नमीत श्रीवास्तव, राकेश दूबे, श्वेताश्वा अग्रवाल, जावेद एच खान, प्रवल त्रिपाठी, शरीक अहमद, सात्विक मिश्रा, इशीत सहारिया, आशीष सिंह, अमीत सिंह, संजय कुमार सिंह, पीयूष कुमार, परितोष कुमार सिंह, पाई अमीत, एन. अश्वनी कुमार, सुश्री पंखुरी भारद्वाज, सुश्री भावना दुदुन, सुश्री रानु पुरोहित, अम्बियुदय वत्स, सुश्री वंशिका दूबे, कुशल दूबे, तथागत दत्ता, पी. अशोक, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

तुषार मेहता, एस. जी., अजय कुमार मिश्रा, एड. जनरल/सीनियर एड., विजय हंसारिया, सीनियर एड., तन्मया अग्रवाल, विक चटर्जी, श्रीमती अदिति अग्रवाल, विनायक मोहन, महफूज अहसान नाज़की, पोलांकी गौतम, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, के. वी. गिरीश चौधरी, टी. विजया भास्कर रेड्डी, सुश्री अर्चिता निगम, मीरान मकबूल, सुश्री रुचि गुप्ता, फुजैल अहमद अयूबी, इबादत मुश्ताक, सुश्री आकांक्षा राय, सुश्री अनसूया चौधरी, सुश्री काव्या झावर, गौरव मेहरोत्रा, तल्हा अब्दुल रहमान, नदीम मुर्तज़ा, अकबर अहमद, अभिनित जैसवाल, हर्षवर्धन मेहरोत्रा, सुश्री मारिया फातिमा, सुश्री अलीना मसूदी, एम. शाज़ खान, अदनान युसूफ भट, सुश्री अनसूया चौधरी, प्रत्यर्थियों के लिए अधिवक्तागण।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

अभय एस. ओका, न्यायाधीश

टेबल ऑफ कंटेंट*

ए.	वास्तविक पृष्ठभूमि	2
	I. एशियाई रिसर्फ़ेसिंग में निर्देश	2
	II. वृहत न्यायपीठ को निर्देश का आदेश	7
बी.	उपस्थापन	8
सी.	विश्लेषण	14
	I. अंतरिम आदेश पारित करने का उद्देश्य	14
	II. अंतरिम राहत को खाली करने या संशोधित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति	16
	III. क्या कोई अंतरिम आदेश केवल समय बीतने के कारण स्वचालित रूप से समाप्त हो सकता है	17
	IV. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग का दायरा	21
	V. उच्च न्यायालयों की स्थिति और इसकी अधीक्षण की शक्ति	29
	VI. क्या न्यायालय को किसी ऐसे मुद्दे पर विचार करना चाहिए जो विचार के लिए उत्पन्न नहीं हो रहा है।	32
	VII. संविधान के अनुच्छेद 226 का खंड (3)	33

VIII. संवैधानिक न्यायालयों द्वारा लंबित मामलों पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए जारी किए गए निर्देश। 34

IX. कार्यवाहियों पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित करते समय और अंतरिम रोक हटाने के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। 43

डी. निष्कर्ष 44

ए. वास्तविक पृष्ठभूमि

1 दिसंबर 2023 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की एक पीठ ने यह विचार व्यक्त किया कि रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के एशियन रिसर्फेसिंग लिमिटेड एवं एक अन्य बनाम.केंद्रीय जांच ब्यूरो 1 के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यक है।

I. एशियाई रिसर्फेसिंग में निर्देश है।

1. एशियन रिसर्फेसिंग 1 में, इस न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, 'पीसी अधिनियम') के प्रावधानों के तहत विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आरोप तैयार करने के आदेश के साथ उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप के दायरे पर विचार किया। मुद्दा यह था कि क्या आरोप तय करने का आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश था। उच्च न्यायालय ने माना कि पी. सी. अधिनियम के तहत आरोप तय करने का आदेश अंतर्वर्ती था। इस न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने 9 सितंबर 2013 के आदेश द्वारा मोहन लाल मगन लाल थाकर बनाम गुजरात राज्य का मामला पर विचार करने के लिए कि क्या वाद का सही निर्णय लिया गया, इसे एक बड़ी पीठ को भेज दिया। तीन माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि आरोप तय करने का

आदेश न तो अंतर्वर्ती था और न ही अंतिम आदेश था। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय के पास आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने पर विचार करने के लिए उपयुक्त मामलों में अधिकार क्षेत्र है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय के पास मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने का अधिकार क्षेत्र है। इसके बाद, यह विचार करने के लिए आगे बढ़ा कि किन मामलों में कार्यवाही पर रोक लगाई जानी चाहिए। पीठ ने इस प्रश्न पर आपराधिक मुकदमे के संदर्भ में विचार किया, विशेष रूप से पी. सी. अधिनियम के तहत। पैराग्राफ 30 और 31 में पीठ ने इस प्रकार टिप्पणी की:

“30. यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि आपराधिक मुकदमे में देरी, विशेष रूप से पी. सी. अधिनियम के मामलों में, न्याय के प्रशासन पर हानिकारक प्रभाव डालती है जिसमें समाज का महत्वपूर्ण हित है। मुकदमों में देरी कानून के शासन और कानूनी प्रणाली की प्रभावशीलता में विश्वास को प्रभावित करती है। यह सामाजिक कल्याण और विकास को प्रभावित करता है। दीवानी या कर मामलों में भी यह निर्धारित किया गया है कि रोक लगाने की शक्ति का उपयोग संयम के साथ किया जाना चाहिए। केवल प्रथम दृष्टया मामला पर्याप्त नहीं है। ठहराव की मांग करने वाले पक्ष को शर्तों पर रखा जाना चाहिए और ठहराव देरी के लिए प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए। स्थगन देने वाले आदेश को विवेकपूर्ण व्यवहार दिखाना चाहिए। रोक लगाने की शक्ति जवाबदेही के साथ जुड़ी हुई है। [सिलीगुड़ी नगरपालिका बनाम अमलेंदु दास, (1984) 2 एस. सी. सी. 436, पैरा 4:1984 एस. सी. सी. (कर) 133; सी. सी. ई. बनाम इनलप इंडिया लिमिटेड, (1985) 1 एस. सी. सी. 260, पैरा 5:1985 एससीसी (कर) 75; राज्य (केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी) बनाम पी. वी. सुरेश, (1994) 2 एस. सी. सी. 70, पैरा 15 और डब्ल्यू. बी. राज्य बनाम कलकत्ता हार्डवेयर स्टोर, (1986) 2 एससीसी 203, पैरा 5]

31. जहां भी रोक दी जाती है, एक बोलने वाला आदेश पारित किया जाना चाहिए जो दर्शाता है कि मामला असाधारण प्रकृति का था और रोक के कारण देरी भ्रष्टाचार के मामले में त्वरित सुनवाई के हित को प्रभावित नहीं करेगी। एक बार रोक लगने के बाद, कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए, और दो-तीन महीने के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

2. हमें उक्त निर्णय के पैराग्राफ 36 और 37 में लिए गए दृष्टिकोण की शुद्धता तय करने के लिए कहा गया है, जो इस प्रकार हैं:

“36. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रोक के कारण लंबे समय तक लंबित रहने वाली कार्यवाही की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। न केवल भ्रष्टाचार के मामलों के लिए बल्कि उन सभी दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए भी उपाय की आवश्यकता है जहां ठहराव के कारण दीवानी और आपराधिक कार्यवाही रुकी हुई है। कभी-कभी स्थगन के कारण कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाती है। ठहराव खाली होने के बाद भी, सूचना प्राप्त नहीं होती है और कार्यवाही नहीं की जाती है। इस स्थिति को सुधारने के प्रयास में, हम इस पर विचार करते हैं, कि यह निर्देश देना उचित होगा कि सभी लंबित मामलों में जहां दीवानी या आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही के खिलाफ रोक चल रही है, वह आज से छह महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी, जब तक कि किसी असाधारण मामले में बोलने के आदेश द्वारा ऐसी रोक नहीं बढ़ाई जाती है। ऐसे मामलों में जहां भविष्य में ठहराव दिया जाता है, वही इस तरह के आदेश की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा जब तक कि एक बोलने वाले आदेश द्वारा समान विस्तार नहीं दिया जाता है। बोलने के आदेश को यह दिखाना चाहिए कि मामला इतनी असाधारण

प्रकृति का था कि ठहराव जारी रखना अधिक महत्वपूर्ण था बलिस्बत कि मुकदमे को अंतिम रूप दिया जाए। निचली अदालत जहां दीवानी या आपराधिक कार्यवाही पर रोक का आदेश प्रस्तुत किया जाता है, वह रोक के आदेश की छह महीने से अधिक की तारीख तय नहीं कर सकती है ताकि रोक की अवधि समाप्त होने पर, कार्यवाही तब तक शुरू हो सके जब तक कि रोक के विस्तार का आदेश प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

37. इस प्रकार, हम कानून को यह घोषित करते हैं कि आरोप तैयार करने का आदेश विशुद्ध रूप से एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है और न ही अंतिम आदेश है। याचिका के लेबल के बावजूद उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र वर्जित नहीं है, चाहे वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 या 482 संविधान के या अनुच्छेद 227 के तहत हो। तथापि, उक्त अधिकारिता का प्रयोग विधायी नीति के अनुरूप किया जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह से बाधित हुए बिना मुकदमे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार विचार किए जाने पर, आरोप के आदेश की चुनौती को दुर्लभ से दुर्लभतम मामले में केवल अधिकार क्षेत्र की पेटेंट त्रुटियां को ठीक करने के लिए विचार किया जाना चाहिए और न कि मामले की पुनः सराहना के लिए। इस तरह की चुनौती पर जहां भी विचार किया जाता है और ठहराव दिया जाता है, मामले का निर्णय दिन-प्रतिदिन के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि ठहराव अनावश्यक रूप से लंबी अवधि के लिए काम न करे। हालांकि कोई अनिवार्य समय-सीमा तय नहीं की जा सकती है, निर्णय सामान्य रूप से दो-तीन महीने से अधिक नहीं हो सकता है। यदि यह लंबे समय तक लंबित रहता है, तो रहने की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, जब तक कि एक विशिष्ट बोलने वाले आदेश द्वारा विस्तार नहीं दिया जाता है, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है। त्वरित न्याय का अधिदेश पी. सी. अधिनियम के मामलों के साथ-साथ अन्य मामलों पर भी लागू होता है जहां

परीक्षण चरण की कार्यवाही पर उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नीचे की अदालत द्वारा रोक लगा दी जाती है, जैसा भी मामला हो। पी. सी. अधिनियम या अन्य सभी दीवानी या आपराधिक मामलों से संबंधित उच्च न्यायालयों या अन्य अदालतों के समक्ष सभी लंबित मामलों में, जहां एक लंबित मुकदमे में कार्यवाही पर रोक चल रही है, रोक आज से छह महीने के बाद स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगी जब तक कि उपरोक्त मापदंडों पर एक बोलने वाले आदेश द्वारा विस्तारित नहीं किया जाता है। दीवानी एवं अपराधिक अपील (पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के तहत भी यही प्रक्रिया अपनायी जा सकती है।) निचली अदालतें, उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर, किसी अन्य सूचना की प्रतीक्षा किए बिना कार्यवाही फिर से शुरू कर सकती हैं, जब तक कि रोक बढ़ाने का स्पष्ट आदेश प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

(जोर दिया गया)

3. पुणे के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 4 दिसंबर 2019 को पारित आदेश के आलोक में, तय किए गए मामले में एक विविध आवेदन दायर किया गया था। जब विद्वत मजिस्ट्रेट को छह महीने की अवधि की समाप्ति के बाद ठहराव की स्वतः समाप्ति के आधार पर मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया, तो विद्वत मजिस्ट्रेट ने यह विचार व्यक्त किया कि जब क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय ने रोक का आदेश पारित किया था, तो उच्च न्यायालय का अधीनस्थ न्यायालय रोक के आदेश के विपरीत कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। 15 अक्टूबर 2020 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने कहा कि जब उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक स्वचालित रूप से समाप्त हो जाती है, जब तक कि अच्छे कारणों से विस्तार नहीं दिया जाता है, तो निचली अदालत को छह महीने की अवधि समाप्त होने पर मुकदमे के लिए एक तारीख

निर्धारित करनी चाहिए और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बाद में, एशियन रिसर्फेसिंग 1 के मामले में निर्धारित कानून का स्पष्टीकरण लेने का प्रयास किया गया। इस न्यायालय ने 25 अप्रैल 2022 के आदेश द्वारा एशियन रिसर्फेसिंग 1 में जारी निर्देश को अपने समक्ष मामले के तथ्यों पर लागू नहीं किया। लेटर पेटेंट अपील में एक खंड पीठ द्वारा पारित उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने के आदेश के निर्देश को लागू करने का प्रयास किया गया था।

II. बड़ी पीठ के लिए संदर्भ का आदेश

4. 1 दिसंबर 2023 के संदर्भ आदेश में, पैराग्राफ 10 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

“10. उपरोक्त शब्दों में सिद्धांत के व्यापक सूत्रीकरण की शुद्धता के संबंध में हमें संदेह है। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अनिश्चितकालीन प्रकृति के स्थगन के परिणामस्वरूप दीवानी या आपराधिक कार्यवाही, जैसा भी मामला हो, अनुचित रूप से दीर्घकृत हो जाती है। उसी समय, यह ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि देरी हमेशा शामिल पक्षों के आचरण के कारण नहीं होती है। न्यायालय द्वारा कार्यवाही को शीघ्रता से शुरू करने में असमर्थता के कारण भी देरी हो सकती है। वह सिद्धांत जो उपरोक्त निर्णय में इस प्रभाव के लिए निर्धारित किया गया है कि रोक स्वचालित रूप से खाली हो जाएगी (जिसका अर्थ न्यायिक विचार के प्रयोग के बिना ठहराव की स्वचालित समाप्ति होगी कि क्या रोक को आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं) जिसके परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर विफलता हो सकती है।

(जोर दिया गया)

5. हमें निम्नलिखित प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए कहा जाता है:-

(ए) क्या यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, एक निश्चित अवधि की समाप्ति पर दीवानी और आपराधिक मामलों की कार्यवाही पर रोक लगाने के उच्च न्यायालयों के सभी अंतरिम आदेशों को स्वचालित रूप से समाप्त करने का आदेश दे सकता है?

(बी) क्या यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालयों को उन लंबित मामलों पर निर्णय लेने का निर्देश दे सकता है जिनमें कार्यवाही पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश दिन-प्रतिदिन के आधार पर और एक निश्चित अवधि के भीतर दिए गए हैं?

बी. प्रविशिष्टियाँ

6. श्री राकेश दिवेदी अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने 2023 की अपराधिक अपील सं. 3589 में मुख्य प्रविष्टियाँ प्रचारित की। हम श्री राकेश दिवेदी की प्रस्तुतियों का सारांश इस प्रकार दे रहे हैं:

ए. अंतरिम आदेश की स्वतः समाप्ति न्यायिक विधान की प्रकृति में है। यह न्यायालय न्यायिक कानून में शामिल नहीं हो सकता है।

बी. भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 मूल संरचना का एक हिस्सा है, और इसे अनुच्छेद 141 और 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग से न तो बंद किया जा सकता है और न ही कम किया जा सकता है।

सी. उच्च न्यायालय भी एक संवैधानिक न्यायालय है जो न्यायिक रूप से इस न्यायालय के अधीनस्थ नहीं है।

डी. अंतरिम राहत देने वाला आदेश न्यायिक विचार के प्रयोग बिना पारित नहीं किया जा सकता है। विवेक का प्रयोग न्यायिक निर्णय लेने की एक पूर्व-आवश्यकता है। विचार के उपयोग की अन्यम्नस्कता एक निर्णय को मनमाना बना देगी। इसी तरह, अंतरिम राहत को खाली करने का आदेश न्यायिक विचार के प्रयोग के बिना पारित नहीं किया जा सकता है;

ई. यदि कोई अंतरिम आदेश पारित किया जाना है, तो यह शुरू में एक छोटी अवधि के लिए होना चाहिए ताकि प्रतिवादी के लिए इसे चुनौती देने का एक प्रभावी अवसर हो।

एफ. अब्दुल रहमान अंतुले और अन्य बनाम आर. एस. नायक और एक अन्य 3 और पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य 4 के मामलों में हो संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय को मुकदमे को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने की अनुमति नहीं है।

जी. भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था।

एच. संविधान के अनुच्छेद 226 (3) के तहत भी, एक अंतरिम आदेश को स्वचालित रूप से खाली नहीं किया जा सकता है जब तक कि अंतरिम आदेश को खाली करने के लिए एक विशिष्ट आवेदन नहीं दिया जाता है।

आई. अपीलीय न्यायाधिकरण के स्थगन आदेश को स्वतः समाप्त करने का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में, 'आईटी अधिनियम') की धारा 254 (2 ए) में शामिल किया गया था। इसने प्रावधान किया कि यदि अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील का 365 दिनों के भीतर निपटारा नहीं

किया गया तो रोक खाली हो जाएगी, भले ही अपील के निपटारे में देरी निर्धारिती के कारण न हो। इस अदालत ने आयकर उपआयुक्त एवं एक अन्य बनाम पेप्सी फूड्स लिमिटेड 5 के वाद में प्रावधान को इस आधार पर हटा दिया कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना था; और

जे. अंतरिम राहत की स्वतः समाप्ति अन्यायपूर्ण, अनुचित और बेजा है।

7. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने श्री द्विवेदी की दलीलों का समर्थन किया। इसके अलावा, उन्होंने प्रस्तुत किया कि:

ए. जैसा कि रजा बुलंद सुगर कं. लि. बनाम नगरपालिका बोर्ड, रामपुर 6 के मामले में संविधान पीठ ने कहा कि, प्रक्रिया के नियम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिसके लिए आवश्यक है कि किसी व्यक्ति के पीछे और उसकी अनुपस्थिति में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है।;

बी. यदि किसी समय सीमा के भीतर किसी कार्य को करने के लिए कानून के प्रावधान द्वारा लगाई गई शर्त संस्था पर है और उस संस्था के परिणाम शर्त का पालन करने में विफल रहने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति पर पड़ते हैं जिसका संस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो कानून के प्रावधान को निर्देशिका के रूप में समझना होगा।;

सी. अंतरिम राहत आदेश हमेशा तीन कारकों पर विचार करने के बाद दिया जाता है: प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं, पीड़ित पक्ष को अपूरणीय क्षति एक बार जब रोक का आदेश प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी/आवेदक की पात्रता के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज किया जाता है, तो आदेश इस आधार

पर स्वचालित रूप से खराब नहीं हो जाता है कि यह छह महीने से कायम है; एवं

डी. कैलाश बनाम नन्हकू और अन्य 7 मामले में इस न्यायालय के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्याय की प्रक्रिया को तेज और जल्दबाजी में किया जा सकता है, लेकिन निष्पक्षता, जो न्याय का मूल तत्व है, को छिपा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उच्च न्यायालय को दिए गए विवेकाधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करके छीन नहीं लिया जा सकता है।

8. 2023 की अपराधिक अपील सं. 3589 में 2023 का आई.ए. सं.252872 में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री गौरव मेहरोत्रा, उपरोक्त प्रस्तुतियों के अतिरिक्त, संजीव कोक मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी बनाम मेसर्स भारत कोकिंग कोल लि. एवं. एक अन्य के मामले में संविधान पीठ के एक निर्णय पर भरोसा किया यह तर्क करते हुए कि न्यायालय को किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय बिना उचित निर्णय के नहीं करना चाहिए।

9. गुवाहाटी उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री विजय हंसारिया ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

ए. जहाँ तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (3) की व्याख्या का संबंध है, विभिन्न उच्च न्यायालयों ने इस मुद्दे पर अलग-अलग विचार लिए हैं कि क्या ठहराव के स्वचालित समापन का प्रावधान अनिवार्य है या निर्देशिका। उन्होंने आग्रह किया कि प्रावधान को एक निर्देशिका के रूप में रखना होगा;

बी. एशियन रिसर्फेसिंग 1 में, न्यायालय पी. सी. अधिनियम के तहत अभियोजन से उत्पन्न उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर विचार कर रहा था। अन्य श्रेणियों के मामले इस न्यायालय के समक्ष चुनौती का विषय नहीं थे।

सी. भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग किसी भी मामले या उसके समक्ष लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए किया जा सकता है। एशियन रिसर्फेसिंग 1 के मामले में स्थगन आदेश की अवधि का मुद्दा उद्भूत नहीं हुआ एवं

डी. एक सफल वादी जिसके स्थगन के आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई है, केवल इस आधार पर पूर्वाग्रहित नहीं किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय उक्त वादी के नियंत्रण से परे कारणों से छह महीने के भीतर मुख्य मामले की सुनवाई नहीं करता है।

10. श्री अमित पाई, एक अपील में अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील, प्रस्तुतियों को स्वीकार करते समय, देवराज बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया और तर्क दिया कि अंतरिम राहत देने के आदेश का सहारा लिया जाता है क्योंकि गुण-दोष पर सुनवाई के समापन में कुछ समय लगने की संभावना है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि एशियाई रिसर्फेसिंग 1 में उक्त उद्देश्य पर विचार नहीं किया गया है। उन्होंने आग्रह किया कि स्थगन का अंतरिम आदेश पारित करना एक न्यायिक कार्य है। इसलिए, इस तरह के आदेश को केवल न्यायिक अधिनियम द्वारा ही रद्द किया जाना चाहिए।

11. हस्तक्षेपकर्ता-अभिनव भारत कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रो. (डॉ.) पंकज के फडनीस ने लिखित निवेदन दायर किए हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने

उच्चतम न्यायालय के नियम, 2024 का मसौदा तैयार किया है। मसौदे पर आधारित उनकी प्रस्तुतियाँ पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं।

सी. विश्लेषण

12. हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एशियन रिसर्फेसिंग 1 के पैराग्राफ 36 में स्थगन की स्वतः छुट्टी के संबंध में जारी किया गया निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। यहां तक कि पैराग्राफ 37 में दिन-प्रतिदिन की सुनवाई करने का निर्देश भी इसी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है। पैराग्राफ 36 में जारी निर्देश का प्रभाव यह है कि एक वादी के पक्ष में प्रदान किया गया स्थगन का अंतरिम आदेश उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना खाली हो जाता है, हालांकि उसकी ओर से कोई चूक नहीं हो सकती है।

1. अंतरिम आदेश पारित करने का उद्देश्य

13. प्रश्नों की जांच करने से पहले, हमें मुख्य मामले के अंतिम निपटारे तक अंतरिम राहत के आदेश पारित करने के उद्देश्य का उल्लेख करने की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि एशियाई रिसर्फेसिंग 1 का निर्णय लेते समय अंतरिम आदेश पारित करने के उद्देश्य पर विचार नहीं किया गया है। आम तौर पर मामले में मांगी गई अंतिम राहत की सहायता के लिए अंतरिम राहत का आदेश दिया जाता है। कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश पारित करने का अवसर आम तौर पर तब उत्पन्न होता है जब उच्च न्यायालय किसी विचारण या अपीलीय न्यायालय के समक्ष मुख्य मामले के लंबित रहने के दौरान पारित अंतरिम या अंतर्वर्ती आदेश को चुनौती देता है। उच्च न्यायालय मुख्य कार्यवाहियों की सुनवाई पर रोक से राहत दे सकता है, यह संतुष्ट होने पर कि एक प्रथम दृष्टया मामला बनता है और संबंधित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों पर

रोक लगाने में विफलता सभी संभावनाओं में अपनाए गए उपचार को फलहीन बना सकती है। जब उच्च न्यायालय रोक का अंतरिम आदेश पारित करता है, हालांकि अंतरिम आदेश स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कह सकता है, तो तीन कारक, अर्थात्; प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति और सुविधा का संतुलन, हमेशा न्यायाधीशों के विचार में होते हैं। हालांकि कार्यवाही पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश नियमित रूप से पारित नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे आदेश केवल असाधारण मामलों में ही पारित किए जा सकते हैं। फिर भी, उच्च न्यायालयों को पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों या महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों जैसे गंभीर मामलों में रोक के आदेश इस मामले में जरूर पारित करते समय अधिक सतर्क और चौकस रहना चाहिए। कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश पारित करने का अवसर उत्पन्न होता है क्योंकि उच्च न्यायालय के लिए मामले को तुरंत अंतिम सुनवाई के लिए लेना संभव नहीं है। किसी लंबित मामले में पारित आदेश को चुनौती देते समय, यदि लंबित मामले पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो मुकदमा या अपीलिय न्यायालय लंबित मामले का फैसला कर सकता है, जिससे उच्च न्यायालय के समक्ष उपचार अप्रभावी हो जाता है। ऐसी स्थिति अक्सर रिमांड के आदेश को पारित करने की ओर ले जाती है। हमारी कानूनी प्रणाली में, जो एक कार्यक्रम विस्फोट का सामना कर रही है, रिमांड का आदेश केवल अंतिम उपाय के रूप में दिया जाना चाहिए। रिमांड के आदेशों के परिणामस्वरूप न केवल अधिक देरी होती है बल्कि विचारण की लागत भी बढ़ जाती है। इसलिए, रिमांड के आदेश को पारित करने की संभावना से बचने के लिए, कई मामलों में कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की जाती है।

II. अंतरिम रहत को खली करने या संसोधित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति

14. जब कोई उच्च न्यायालय प्रतिद्वंद्वी पक्षों को सुनने का अवसर दिए बिना नोटिस जारी करते समय कार्यवाही पर रोक लगाता है, तो यह एक अंतरिम आदेश नहीं है, बल्कि यह रोक का एक अंतरिम आदेश है। कार्यवाही के सभी पक्षों को अंतरिम राहत देने के अनुरोध पर सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद ही इसे स्थगन के अंतरिम आदेश में परिवर्तित किया जा सकता है। अंतरिम ऑर्डर, अपनी प्रकृति से, एक सीमित अवधि के होने चाहिए। इसलिए इस तरह के आदेशों से कोई समस्या नहीं होती है।
15. उच्च न्यायालयों को हमेशा अन्य आधारों के साथ-साथ निम्नलिखित पक्षों को सुनने के बाद पारित अंतरिम राहत के आदेश को खाली करने या संशोधित करने का अधिकार है:

(ए) अगर कोई वादी, स्थगन आदेश प्राप्त करने के पश्चात्, जानबूझकर था तो अनुचित आधारों पर स्थगन की माँग करके या स्थगन आदेश का अनुचित लाभ लेने के उद्देश्य से तब अनुपस्थित रहकर जब मुख्य वाद जिसमें अंतरिम राहत प्रदत्त है का उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के वास्ते आह्वान किया जाता है,

(बी) उच्च न्यायालय ने पाया कि अंतरिम राहत का आदेश उस पक्ष द्वारा जिसके पक्ष में स्थगन का अंतरिम आदेश दिया गया है, भौतिक तथ्यों को दबाने या गलत तरीके से प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप दिया गया है और

(सी) उच्च न्यायालय ने पाया कि पहले पारित अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में एक भौतिक परिवर्तन हुआ है। किसी मामले में, समय का एक लंबा समय परिस्थितियों में एक भौतिक परिवर्तन ला सकता है।

ये आधार संपूर्ण नहीं हैं। स्थगन के आदेश को खाली करने के लिए अन्य वैध आधार हो सकते हैं।

III. क्या कोई अंतरिम आदेश केवल समय बीतने के कारण स्वचालित रूप से समाप्त हो सकता है

16. ठहरने का अंतरिम आदेश समाप्त हो सकता है:-

(ए) उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य मामले के निपटारे द्वारा, जिसमें अंतरिम आदेश पारित किया गया है। निपटान या तो गुण-दोष पर या चूक या अन्य कारणों जैसे मामले में कमी के लिए हो सकता है; या

(बी) एक न्यायिक आदेश द्वारा अंतरिम राहत को खाली करते हुए, उपलब्ध आधारों पर प्रतिद्वंद्वी पक्षों को सुनने के बाद पारित किया गया, जिनमें से कुछ का उल्लेख हम पहले ही चित्रण के माध्यम से कर चुके हैं।

प्राकृतिक न्याय के प्रारंभिक सिद्धांत, जो हमारे न्यायशास्त्र में अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त हैं, आदेश देते हैं कि अंतरिम राहत को खाली करने या अंतरिम राहत में संशोधन का आदेश सभी प्रभावित पक्षों को सुनने के बाद ही पारित किया जाता है। आदेश के लाभार्थी को सुने बिना पारित अंतरिम राहत को खाली करने का आदेश न्याय के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। दिमाग का उपयोग किसी भी निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए, दिमाग के उपयोग के बिना, अंतरिम रोक का आदेश केवल समय बीतने के आधार पर खाली नहीं किया जा सकता है जब वादी देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है। सभी प्रतिद्वंद्वी पक्षों को सुनने के बाद अदालत द्वारा कानूनी रूप से पारित एक अंतरिम आदेश को केवल लंबे समय के कारण अवैध नहीं माना जाता है। इसके अलावा, सभी उच्च न्यायालयों द्वारा पारित स्थगन के अंतरिम आदेशों को स्वचालित रूप से केवल इस आधार पर समाप्त करने के

संबंध में एशियन रिसर्फेसिंग 1 में जारी किए गए निर्देश व्यक्तिगत मामलों के गुण-दोष की परवाह किए बिना लागू होते हैं। यदि कोई उच्च न्यायालय सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद यह निष्कर्ष निकालता है कि किसी दीवानी या आपराधिक मामले की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कोई मामला बनाया गया था, तो रोक का आदेश केवल छह महीने की अवधि समाप्त होने पर स्वचालित रूप से अलग नहीं हो सकता है क्योंकि उच्च न्यायालय मुख्य मामले की सुनवाई नहीं कर सका था। यदि इस तरह का दृष्टिकोण अपनाया जाता है, तो यह निष्पक्षता की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत होगा। यदि वादी की ओर से किसी भी गलती के बिना एक अंतरिम आदेश स्वचालित रूप से खाली हो जाता है, केवल इसलिए कि उच्च न्यायालय मुख्य मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है, तो उक्ति "एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट" लागू होगी। न्यायालय की गलती के कारण किसी भी वादी को पीड़ित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो अपनी गलती को सुधारना न्यायालय का बाध्यकारी कर्तव्य है।

17. एशियन रिसर्फेसिंग 1 के मामले में बाद के स्पष्टीकरण में, निचली अदालतों को निर्देश जारी किया गया है कि वे उच्च न्यायालय द्वारा पारित रोक हटाने के किसी भी औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा किए बिना छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद सुनवाई के लिए तुरंत एक तारीख तय करें। यह उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में प्रतिवादी को अनुचित लाभ देता है। इसके अलावा, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत प्रतिकार उपचार के लिए एक वादी के अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार के आदेश, 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता(संक्षेप के वास्ते दं.प्र.सं.) की धारा 482 के तहत संशोधन, अपील एवं आवेदन जैसे वैधानिक उपायों के साथ-साथ 1908 की दीवानी प्रक्रिया संहिता(संक्षेप के वास्ते दं.प्र.सं.) के तहत उपायों की माँग करने एवं उनका लाभ लेने के वादी के अधिकार को वस्तुतः विफल कर देते हैं। सभी उच्च न्यायालयों द्वारा पारित स्थगन के सभी अंतरिम आदेशों को

केवल समय बीतने के आधार पर कलम के एक प्रहार से शून्य नहीं किया जा सकता है।

18. विधायिका ने आयकर अधिनियम की धारा 254 (2 ए) के लिए तीसरा परंतुक पेश करके आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दी गई रोक को स्वतः समाप्त करने का प्रावधान करने का प्रयास किया। इसने प्रावधान किया कि यदि एक अपील जिसमें रोक दी गई थी, 365 दिनों की अवधि के भीतर सुनवाई नहीं की गई, तो यह स्थगन की स्वतः समाप्ति के बराबर होगी। पेप्सी फूड्स लिमिटेड 5 के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि स्वतः रोक हटाने का प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना था और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ 20 और 22 इस प्रकार हैं:

“20. इन दोनों मापदंडों को देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा शुरू किया गया आयकर अधिनियम की धारा 254 (2-ए) का तीसरा परंतुक मनमाना और भेदभावपूर्ण दोनों होगा और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में निरस्त किया जा सकता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि विवादित निर्णय में सही ढंग से अभिनिर्धारित किया गया है, असमान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है क्योंकि कार्यवाही में देरी के लिए जिम्मेदार निर्धारिती और इतने जिम्मेदार नहीं होने वाले निर्धारिती के बीच तीसरे परंतुक द्वारा कोई अंतर नहीं किया जाता है। यह थोड़ा सा है विशेष बात यह है कि विधायिका ने स्वयं आयकर अधिनियम की धारा 254 (2-ए) के दूसरे परंतुक में उपरोक्त भेदभाव किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि स्थगन आदेश को इस संतुष्टि पर 365 दिनों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है कि अपील के निपटारे में देरी निर्धारिती के कारण नहीं है। हम पहले ही देख चुके हैं

कि कैसे नारंग ओवरसीज (पी) लिमिटेड बनाम आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, 2007 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 671:(2007) 295 आई. टी. आर. 22] सही प्रकार से अभिनिर्धारित किया गया, दूसरा परंतुक वित्त अधिनियम, 2007 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 254 (2-ए) के पहले परंतुक की कठोरता को कम करने के लिए इसके पूर्व अवतार में पेश किया गया था। आम तौर पर, अपीलीय न्यायाधिकरण, जहां संभव हो, उस वित्तीय वर्ष के अंत से चार साल की अवधि के भीतर अपीलों की सुनवाई और निर्णय करता है जिसमें ऐसी अपील दायर की जाती है। यह केवल तब होता है जब अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष विवादित आदेश को रोक दिया जाता है कि अपील का 365 दिनों के भीतर निपटारा किया जाना आवश्यक है। जहाँ तक अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा अपील के निपटारे का संबंध है, यह एक निर्देशिका प्रावधान है। तथापि, जहाँ तक उक्त अवधि की समाप्ति पर स्थगन की समाप्ति का संबंध है, यह शर्त जहाँ तक निर्धारिती का संबंध है, अनिवार्य हो जाती है।

21.

22. चूँकि आयकर अधिनियम की धारा 254 (2-ए) के तीसरे परंतुक का उद्देश्य 365 दिनों के पूरा होने पर दी गई रोक की स्वतः छुट्टी है, चाहे निर्धारिती अपील की सुनवाई में हुई देरी के लिए जिम्मेदार हो या नहीं, ऐसा उद्देश्य जो स्वयं ऊपर बताए गए अर्थों में भेदभावपूर्ण है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने के रूप में निरस्त किया जा सकता है। साथ ही, उक्त परंतुक के परिणामस्वरूप 365 दिनों की समाप्ति पर रोक की स्वतः छुट्टी हो जाएगी, भले ही अपीलीय न्यायाधिकरण निर्धारिती की बिना किसी गलती के समय पर अपील पर विचार न कर सके। इसके अलावा, राजस्व के पक्ष में ठहराव की छुट्टी तब भी होगी जब अपील की सुनवाई में देरी के लिए राजस्व स्वयं जिम्मेदार हो। इस अर्थ में, उक्त

परंतुक भी स्पष्ट रूप से मनमाना है क्योंकि यह एक ऐसा प्रावधान है जो जहां तक निर्धारिती का संबंध है, मनमौजी, तर्कहीन और अनुपातहीन है।”

(जोर दिया गया)

इसलिए, भले ही विधायिका ठहराव की स्वतः छुट्टी के लिए इस तरह के प्रावधान के साथ आती है, लेकिन यह न्यायिक जांच में नहीं रह सकती है क्योंकि यह स्पष्ट मनमानेपन से पीड़ित हो सकती है।

IV. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग का दायरा

19. एशियन रिसर्फेसिंग 1 में जारी किए गए निर्देश स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में जारी किए गए हैं, जो इस न्यायालय को इस तरह की डिक्री पारित करने या किसी भी मामले या इसके समक्ष लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए इस तरह के आदेश को आवश्यक बनाने का अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। एशियन रिसर्फेसिंग 1 में, पहला मुद्दा यह था कि क्या किसी मामले में आरोप तय करने का आदेश पी. सी. अधिनियम के तहत एक अंतर्वर्ती आदेश की प्रकृति था। दूसरा सवाल आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देते हुए पीसी अधिनियम के तहत विचारण की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों के दायरे का था। विभिन्न अन्य कार्यवाहियों में उच्च न्यायालयों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों की अवधि के बारे में प्रश्न विशेष रूप से एशियन रिसर्फेसिंग 1 के मामले में विचार के लिए उत्पन्न नहीं हुआ था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के प्रावधान न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने और पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए हैं। अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग में निर्देश न्याय को विफल करने के लिए जारी नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान सभी उच्च न्यायालयों द्वारा कानूनी रूप से पारित बहुत

बड़ी संख्या में अंतरिम आदेशों को शून्य करने वाले आवृत्त करने वाले आदेशों को पारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है, और वह भी, प्रतिद्वंद्वी पक्षों को सुने बिना। अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का आह्वान केवल अदालत के समक्ष पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए किया जा सकता है।

20. अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के दायरे से निपटने के दौरान, एक इस न्यायालय की संविधान पीठ ने प्रेम चंद गर्ग और एक अन्य बनाम आबकारी आयुक्त, यू. पी. और अन्य। के मामले में कंडिकाएँ इस प्रकार आयोजित किया 12 एवं 13 में

“12. इस निर्णय के आधार पर, सॉलिसिटर-जनरल का तर्क है कि अनुच्छेद 142 (1) के तहत इस न्यायालय को प्रदान की गई शक्ति की तुलना अनुच्छेद 194 (3) के उत्तरार्ध के तहत राज्य विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा दावा किए गए विशेषाधिकारों से की जा सकती है, और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 (1) के तहत पारित आदेश को इस आधार पर निरस्त करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है कि यह अनुच्छेद 32 के साथ असंगत है। यह ध्यान दिया जाएगा कि यह तर्क इस आधार पर आगे बढ़ता है कि सुरक्षा का आदेश अनुच्छेद 32 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और यह सुझाव देता है कि अनुच्छेद 142 (1) के तहत इस न्यायालय को ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है। हमारी राय में, इस प्रकार प्रस्तुत तर्क गलत है। इस संबंध में, शर्मा [(1959) 1 एस. सी. आर. 806 पर 859-860] के मामले में वास्तविक निर्णय और इसके प्रभाव की सराहना करना आवश्यक है। वास्तविक निर्णय यह था कि अनुच्छेद 194 (3) के उत्तरार्ध भाग के तहत दावा करने योग्य अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (ए) के अधीन नहीं थे, क्योंकि उक्त अधिकारों को स्पष्ट रूप से एक संवैधानिक प्रावधान अर्थात् अनुच्छेद 194 (3)

द्वारा प्रदत्त था, और यह मानना असंभव होगा कि संविधान का एक भाग दूसरे भाग के साथ असंगत है। हालाँकि, स्थिति पूरी तरह से अलग होगी यदि राज्य विधानमंडल को अपने सदस्यों के विशेषाधिकारों के संबंध में एक कानून पारित करना था। इस तरह का कानून स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 19 (1) (ए) के अनुरूप होना चाहिए। यदि ऐसी कानून के किसी भी प्रावधान से भाग III द्वारा गारंटीकृत किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो उन्हें असंवैधानिक होने के रूप में निरस्त कर दिया जाएगा। इसी तरह, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि यदि अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं के संबंध में संसद द्वारा अनुच्छेद 145 (1) द्वारा विचार के अनुसार एक कानून बनाया जाता है, और ऐसा कानून, सार में, आदेश 25 नियम 1 या आदेश 41 नियम 10 के प्रावधानों के अनुरूप है, तो इसे इस आधार पर निरस्त कर दिया जाएगा कि यह अनुच्छेद 32 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने का इरादा रखता है। इस न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के तहत या अनुच्छेद 142 (1) के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत दिए गए आदेश की स्थिति अलग नहीं हो सकती है। यदि मामले के इस पहलू को ध्यान में रखा जाए, तो अनुच्छेद 142 (1) के आधार पर सॉलिसिटर-जनरल के तर्क को अस्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस न्यायालय की शक्तियां बहुत व्यापक हैं और उनका उद्देश्य न्याय के हित में होना है और हमेशा उनका प्रयोग न्याय के हित में किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया जा सकता है जो संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है। एक आदेश जो यह न्यायालय पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए कर सकता है, न केवल संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि यह प्रासंगिक सांविधिक कानून के मूल प्रावधानों से भी असंगत नहीं हो सकता है। इसलिए, हमें नहीं लगता कि यह

अभिनिर्धारित करना संभव होगा कि अनुच्छेद 142 (1) इस न्यायालय को ऐसी शक्तियां प्रदान करता है जो अनुच्छेद 32 के प्रावधानों का उल्लंघन कर सकती हैं।

13. इस संबंध में, यह इंगित करना उचित हो सकता है कि पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए इस न्यायालय को जो व्यापक शक्तियां दी गई हैं, उदाहरण के लिए, इस न्यायालय द्वारा अपने समक्ष लंबित कार्यवाही में पक्षों को जोड़ने में, या अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार करने में, या मामले को रिमांड करने में, या पहली बार एक नए बिंदु को लेने की अनुमति देने में उपयोग किया जाता है। यह स्पष्ट है कि इन और इसी तरह की अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय प्रक्रिया के प्रासंगिक प्रावधानों से बाध्य नहीं होगा यदि यह संतुष्ट है कि पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए उक्त प्रक्रिया से विचलन आवश्यक है।

(जोर दिया गया)

21. सर्वोच्च न्यायालय बार संघ बनाम भारत संघ एवं एक अन्य के मामले के कंडिकाएँ 47 एवं 48 में एक अन्य संवैधानिक पीठ ने इस प्रकार आयोजित किया गया:

“47. संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की पूर्ण शक्तियां न्यायालय में निहित हैं और उन शक्तियों के पूरक हैं जो विशेष रूप से विभिन्न कानूनों द्वारा न्यायालय को प्रदान किए गए हैं, हालांकि उन कानूनों द्वारा सीमित नहीं हैं। पक्षों के बीच परिपूर्ण न्याय करने की दृष्टि से ये शक्तियाँ कानूनों से स्वतंत्र होकर भी मौजूद हैं। ये शक्तियाँ बहुत व्यापक आयाम की हैं और पूरक शक्तियों की प्रकृति में हैं। यह शक्ति कानूनों के अलावा अधिकार क्षेत्र के एक अलग और स्वतंत्रता आधार के रूप में मौजूद है। यह नींव पर खड़ा है और मुकदमेबाजी की प्रक्रिया में अन्याय को रोकने और पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए इसके अभ्यास के लिए आधार को एक अलग और शायद व्यापक आधार पर रखा जा सकता है। इस प्रकार, यह पूर्ण

अधिकार क्षेत्र शक्ति का अवशिष्ट स्रोत है जिसे यह न्यायालय जब भी उचित एवं न्यायसंगत हो तो आवश्यकताके अनुरूप आकर्षित कर सकता है एवं विशेष तौर पर कानून की उचित प्रक्रिया का अवलोकन सुनिश्चित करना ताकि प्रशासन करते हुए दोनों पक्षों के बीच परिपूर्ण न्याय हो सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अन्य सभी शक्तियों के लिए एक अनिवार्य सहायक है और अधिकार क्षेत्र के प्रतिबंध से मुक्त है और अदालत के हाथों में एक मूल्यवान हथियार के रूप में काम करता है ताकि न्याय के धारा का अवरोध या बाधा को रोका जा सके। "हालाँकि, यह याद रखने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद 142 द्वारा न्यायालय को प्रदान की गई शक्तियों को उपचारात्मक प्रकृति की होने के कारण उन शक्तियों के रूप में नहीं माना जा सकता है जो न्यायालय को उसके समक्ष लंबित किसी कारण से निपटने के दौरान वादी के मूल अधिकारों की अनदेखी करने के लिए अधिकृत करती हैं। इस शक्ति का उपयोग मामले पर लागू मूल कानून को "हटाने या मामले के विचाराधीन कारण के लिए नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 142, इसके विस्तार की चौड़ाई के साथ भी, एक नए भवन के निर्माण के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है जहां पहले कोई मौजूद नहीं था, किसी विषय से संबंधित स्पष्ट वैधानिक प्रावधानों की अनदेखी करके और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा हासिल करने के लिए जिसे सीधे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक तिरस्कृत अधिवक्ता को दंडित करना, अभ्यास करने के लिए उसके लाइसेंस को निलंबित करके अदालत की अवमानना के मामले से निपटने के दौरान, एक शक्ति जो अन्यथा केवल भारतीय बार काउंसिल के लिए वैधानिक रूप से उपलब्ध है, इस आधार पर कि तिरस्कृत भी एक अधिवक्ता है, इसलिए, अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में अनुमत नहीं है। अनुच्छेद 142 के निर्माण को अनुच्छेद के हितकारी उद्देश्यों द्वारा कार्यात्मक रूप से सूचित किया जाना चाहिए। अर्थात्, पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करना। यह अन्यथा

नहीं हो सकता है। जैसा कि अदालत की अवमानना के मामले में पहले ही देखा जा चुका है, अवमानकर्ता और अदालत को मुकदमे का पक्षकार नहीं कहा जा सकता है।

48. उच्चतम न्यायालय के पास अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश देने जो पक्षों के बीच इसके समक्ष लंबित किसी कारण या विषय में परिपूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। शक्ति की प्रकृति को न्यायालय को उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपने लिए सीमाएं निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और आम तौर पर वह किसी विषय को नियंत्रित करने वाले वैधानिक प्रावधान की अवहेलना नहीं कर सकता है, सिवाय इसके कि शायद इसके समक्ष किसी कारण या मामले में "बाधाओं को दूर करके" मुकदमेबाज पक्षों के परस्पर विरोधी दावों के बीच समानता को संतुलित करने के लिए हो। वास्तव में यह न्यायालय केवल विवाद-निपटान के सीमित अधिकार क्षेत्र का न्यायालय नहीं है। यह अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त और स्थापित है कि यह न्यायालय हमेशा एक कानून निर्माता रहा है और इसकी भूमिका केवल विवाद-निपटान से परे है। यह "अस्पष्ट क्षेत्रों में समस्या-समाधानकर्ता" है (देखें के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ [(1991) 3 एससीसी 655:1991 एस. सी. सी. (अपराधिक) 734] लेकिन किसी दिए गए मामले के विषय-वस्तु से संबंधित मूल वैधानिक प्रावधानों को इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत आदेश देते समय पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, इन संवैधानिक शक्तियों को किसी भी तरह से किसी भी वैधानिक प्रावधान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन साथ ही इन शक्तियों का प्रयोग तब नहीं किया जाना चाहिए जब उनके अभ्यास जो विषय के साथ स्पष्ट रूप से निपटने वाले कानून में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है के साथ सीधे संघर्ष में आ सकता है।

(जोर दिया गया)

22. ऐसी शक्तियों की प्रकृति के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिए मापदंडों को पूरी तरह से निर्धारित करना बहुत मुश्किल है। हालांकि, कुछ महत्वपूर्ण मानदंड जो संदर्भ में शामिल मुद्दों के लिए प्रासंगिक हैं, वे इस प्रकार हैं:-

- (i) न्यायालय के समक्ष पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग बड़ी संख्या में वादियों द्वारा उनके पक्ष में वैध रूप से पारित न्यायिक आदेशों के आधार पर प्राप्त लाभों को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के पक्षकार नहीं हैं।
- (ii) अनुच्छेद 142 इस न्यायालय को वादियों के मूल अधिकारों की उपेक्षा करने का अधिकार नहीं देता है; और
- (iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, यह न्यायालय हमेशा न्यायालयों को प्रक्रियात्मक पहलुओं को सुव्यवस्थित करने और मामलों का शीघ्र और समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक कानूनों में खामियों को दूर करने के लिए प्रक्रियात्मक निर्देश जारी कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यह न्यायालय कानून की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से बाध्य नहीं हो सकता है। हालाँकि, ऐसा करते समय, यह न्यायालय उन वादियों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता है जो उसके समक्ष मामले में पक्षकार नहीं हैं। प्रतिकूल आदेश पारित किए जाने से पहले सुनवाई का अधिकार प्रक्रिया का विषय नहीं है, बल्कि एक मूल अधिकार है।

(iv) अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का उपयोग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जो हमारे न्यायशास्त्र का एक अभिन्न अंग हैं।

V. उच्च न्यायालयों की स्थिति और उनकी अधीक्षण की शक्ति

23. उच्च न्यायालय भी एक संवैधानिक न्यायालय है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यह न्यायिक रूप से इस न्यायालय के अधीन नहीं है। तिरुपति बालाजी डेवलपर्स(पी) लि. एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के वाद में, इस न्यायालय ने इस न्यायालय की तुलना में उच्च न्यायालयों की स्थिति की व्याख्या की है। कंडिका 8 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

“8. न्यायपालिका के लिए बनाई गई संवैधानिक योजना के तहत, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों रिकॉर्ड की अदालतें हैं। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का "अधीनस्थ" न्यायालय नहीं है। एक प्रकार से उच्च न्यायालय में निहित न्यायिक शक्तियों का चित्र यहाँ तक व्यापक है कि संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के वास्ते या किसी अन्य प्रयोजन के वास्ते संविधान के अनुच्छेद 226 द्वारा प्रदत्त सभी विशेषाधिकार रिटों को जारी करने का क्षेत्राधिकार है जबकि सर्वोच्च न्यायालय को विशेषाधिकार रिट जारी करने का मौलिक क्षेत्राधिकार मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तक सीमित रही रहती है एवं राष्ट्रपति चुनाव एवं अंतर-राज्य विवाद जैसे कुछ मामलों से निपटने के वास्ते उच्च न्यायालयों द्वारा सुनवाई एवं निर्धारण के लिए संविधान में परिकल्पना नहीं की गई है। उच्च न्यायालय सभी अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करता है; सर्वोच्च न्यायालय को अधीक्षण की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। यदि उच्चतम न्यायालय और उच्च

न्यायालय दोनों को न्याय के प्रशासन में भाइयों के रूप में माना जाता है, तो उच्च न्यायालय के पास अधिक अधिकार क्षेत्र है लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अभी भी बड़ा भाई बना हुआ है। वहाँ कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो उच्च न्यायालयों पर उच्चतम न्यायालय को एक बढ़त देते हैं और पदानुक्रम में एक बेहतर स्थान प्रदान करते हैं। जहाँ तक अपीलीय अधिकारिता का संबंध है, सभी दीवानी और आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय अपील का सर्वोच्च और अंतिम न्यायालय है। यह कानून का अंतिम दुभाषिया है। अनुच्छेद 139-ए के तहत, सर्वोच्च न्यायालय एक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है या मामले को अपने पास वापस ले सकता है। अनुच्छेद 141 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर उच्च न्यायालयों सहित सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगी। अनुच्छेद 144 के तहत भारत के क्षेत्र में सभी नागरिक और न्यायिक अधिकारी-और जिसमें उच्च न्यायालय भी शामिल होंगे-सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे।

(जोर दिया गया)

एक उच्च न्यायालय संवैधानिक रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय से स्वतंत्रता है और इस न्यायालय के अधीन नहीं है। इस न्यायालय ने एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य 13 के मामले में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर विचार किया है। पैराग्राफ 78 और पैराग्राफ 79 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

“78. इसलिए हम, यह मानते हुए कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों में और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में निहित विधायी कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की एक अभिन्न और आवश्यक विशेषता है, जो इसकी मूल संरचना का

हिस्सा है। सामान्य तौर पर, इसलिए, विधानों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने के लिए उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को कभी भी खारिज या बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है।

79. हम यह भी मानते हैं कि उच्च न्यायालयों में अपने-अपने क्षेत्राधिकार के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के निर्णयों पर न्यायिक पर्यवेक्षण का प्रयोग करने की शक्ति भी संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक स्थिति जहाँ उच्च न्यायालयों को संवैधानिक व्याख्या के अलावा अन्य सभी न्यायिक कार्यों से वंचित किया जाता है, उससे समान रूप से बचा जाना चाहिए।

(जोर दिया गया)

24. संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय की अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर न्यायिक अधीक्षण की शक्ति में ऐसे न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की शक्ति शामिल होगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति के प्रयोग में एक आवृत निर्देश द्वारा, यह न्यायालय उच्च न्यायालय को एक बार में केवल छः महीनों के वास्ते अंतरिम राहत पारित करने के वास्ते अपने अधिकार क्षेत्र को सीमित करके अंतरिक्ष राहत प्रदान के वास्ते इसे (उच्च न्यायालय) प्रदत्त अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय की शक्ति पर इस तरह की बाधाओं को डालना संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में संध लगाने के बराबर होगा, जो एक आवश्यक विशेषता है जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।

VI. क्या न्यायालय को किसी ऐसे मुद्दे से निपटना चाहिए जो विचार के लिए उत्पन्न नहीं हो रहा है

25. संजीव कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मामले में, 8 संविधान के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने पैराग्राफ 11 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

“11. हमें इस सवाल पर गंभीर प्रतिबंध है कि क्या इस तरह के विचारों पर अकादमिक या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अदालत के लिए खुला है, विशेष रूप से जब ऐसे गंभीर संवैधानिक मुद्दे शामिल हो। हम (न्यायाधीश) युद्ध की रेखाओं को ठीक से बनाए बिना संवैधानिक नीति के गंभीर और अस्पष्ट मुद्दों पर असंबद्ध घोषणा करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। न्यायिक घोषणाएं बेदाग कानूनी अवधारणाएं नहीं हो सकती हैं। लेकिन यह सही है कि कानून के किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर निर्णय पक्षों के मध्य दोनों ओर उचित तौर पर व्यवस्थित एवं संघर्ष करते हुए उचित निर्णय के बगैर नहीं होना चाहिए। जो उद्भूत नहीं होती हैं एवं उन पर राय नहीं व्यक्त करती हैं, पर गौर करना अनुचित है।

(जोर दिया गया)

एशियन रिसर्फेसिंग में, विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित विभिन्न श्रेणियों केवादों में प्रदत्त स्थगन आदेशों से उद्भूत कोई निर्णय इस न्यायालय के समक्ष नहीं था। यह अदालत पी. सी. अधिनियम के तहत एक मामले की सुनवाई कर रही थी। इस प्रकार, एक ऐसे मुद्दे पर विचार करने का प्रयास किया गया जो विचार के लिए उत्पन्न नहीं हुआ था।

VII. संविधान के अनुच्छेद 226 का खंड (3)

26. इस मामले में, इस न्यायालय के लिए यह निर्णय लेना अनावश्यक है कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 का खंड (3) अनिवार्य है या निर्देशिका। अनुच्छेद 226 का खंड (3) इस प्रकार है:

“उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति:

(1)

(2)

(3) जहां कोई भी पक्ष जिसके खिलाफ अंतरिम आदेश, चाहे वह निषेधाज्ञा या स्थगन के माध्यम से हो या किसी अन्य तरीके से, खंड (1) के तहत याचिका पर या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में, बिना -

(ए) ऐसी अंतरिम आदेश के लिए याचिका के समर्थन में ऐसी याचिका की प्रतियां और सभी दस्तावेज ऐसे पक्ष को प्रस्तुत करना; और

(ख) ऐसे पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए,

ऐसे आदेश को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करता है और उस पक्ष को, जिसके पक्ष में ऐसा आदेश दिया गया है, या ऐसे पक्ष के वकील को ऐसे आवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करता है, उच्च न्यायालय आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर या उस तारीख से, जिस दिन ऐसे आवेदन की प्रति इस तरह से प्रस्तुत की गई है, जो भी बाद में हो, या जहां उच्च न्यायालय उस अवधि के अंतिम दिन बंद है, अगले दिन की समाप्ति से पहले, जिस दिन उच्च न्यायालय खुला है; और यदि आवेदन का इस तरह से निपटारा नहीं किया जाता है, तो अंतरिम आदेश, उस अवधि की समाप्ति पर, या, जैसा भी मामला हो, उक्त अगले दिन की समाप्ति पर, समाप्त हो जाते हैं।

इसके सादे पढ़ने पर, खंड (3) केवल तभी लागू होता है जब एक अंतरिम राहत विपरीत पक्ष को सहायक दस्तावेजों के साथ रिट याचिका की एक प्रति प्रस्तुत किए बिना और विपरीत पक्ष को सुने बिना दी जाती है। यह मानते हुए भी कि खंड (3) निर्देशिका नहीं है, यह

अंतरिम राहत की स्वतः छुट्टी का प्रावधान केवल तभी करता है जब पीड़ित पक्ष अंतरिम राहत को खाली करने के लिए आवेदन करता है और जब निर्दिष्ट समय के भीतर ठहराव को खाली करने के लिए आवेदन पर सुनवाई नहीं होती है। खंड (3) तब लागू नहीं होगा जब अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में एक अंतरिम आदेश सभी संबंधित पक्षों को रिट याचिका की एक प्रति की तामिला के बाद और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के बाद पारित किया जाता है। यह केवल एकतरफा विज्ञापन अंतरिम आदेशों पर लागू होता है।

VIII. संवैधानिक न्यायालयों द्वारा लंबित मामलों पर समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए जारी किए गए निर्देश

27. एशियन रिसर्फेसिंग 1 के पैराग्राफ 36 और 37 में जारी निर्देशों का शुद्ध प्रभाव यह है कि जिस याचिका में उच्च न्यायालय ने मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है, उस पर अधिकतम छह महीने की अवधि के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि यह छह महीने के भीतर तय नहीं किया जाता है, तो अंतरिम रोक अपने आप खाली हो जाएगी, जिससे वस्तुतः लंबित मामला फलहीन हो जाएगा। वास्तव में, पैराग्राफ 37 में, इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि आरोप तय करने के आदेश की चुनौती को एक दुर्लभ मामले में स्वीकार किया जाना चाहिए, और जब रोक दी जाती है, तो मामले का फैसला उच्च न्यायालय द्वारा दिन-प्रतिदिन के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि रोक अनावश्यक रूप से लंबी अवधि के लिए काम न करे।
28. इस न्यायालय की संविधान पीठों ने अब्दुल रहमान अंबुले एवं पी रामचंद्र राव के मामलों में मामलों के निपटारों के लिए समय सीमा तय करने के मुद्दे पर विचार किया। अब्दुल रहमान के मामलों रहमान अंतुले, पैराग्राफ 83 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:

“83. लेकिन फिर त्वरित परीक्षण या उक्त अवधारणा को व्यक्त करने वाली अन्य अभिव्यक्तियाँ-अनिवार्य रूप से प्रकृति में सापेक्ष हैं। कोई पूछ सकता है-तेज़ का मतलब है, कितना तेज़? कितनी लंबी देरी लंबी देरी होती है। हमें नहीं लगता कि आपराधिक कार्यवाही के समापन के लिए कोई समय सारिणी निर्धारित करना संभव है। अपराध की प्रकृति, अभियुक्तों की संख्या, गवाहों की संख्या, विशेष अदालत में काम का बोझ, संचार के साधन और कई अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा। उदाहरण के लिए, उसी मामले को लें जिसमें रंजन द्विवेदी (1987 की रिट याचिका संख्या 268 में याचिकाकर्ता) आरोपी हैं। 151 अभियोजन पक्ष द्वारा पाँच वर्षों की अवधि में 151 गवाहों से पूछताछ की गई है। कुछ गवाहों की जाँच 100 से अधिक टंकित किए गए पृष्ठों में होती है। हमें बताया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा अब तक पेश किए गए मौखिक साक्ष्य 4000 पृष्ठों के हैं। भले ही, सप्ताह के पांच दिन और सप्ताह दर सप्ताह मामले को जारी रखने का प्रस्ताव था, लेकिन विभिन्न कारणों से अर्थात्, वकील की अनुपलब्धता, अभियुक्त अनुपलब्धता, अंतर्वर्ती कार्यवाही आ अन्य प्रणालीगत विलम्ब से यह संभव नहीं था। एक हत्या का मामला एक साधारण मामला हो सकता है जिसमें एक दर्जन गवाह शामिल हो सकते हैं। एक सप्ताह में समाप्त किया जा सकता है जबकि एक अन्य मामले में बड़ी संख्या में गवाह शामिल हो सकते हैं, और इसमें कई सप्ताह लग सकते हैं। अपनी प्रकृति के कुछ अपराध जैसे कि साजिश के मामले, अपयोजन, गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी, राजद्रोह, लोक सेवकों द्वारा आय से अधिक संपत्ति का अधिग्रहण, उच्च लोक सेवकों और उच्च लोक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और मुकदमे में अधिक समय लगता है। तब फिर, प्रत्येक न्यायालय, जिले, क्षेत्र और राज्य में काम का बोझ अलग-अलग होता है। यह तथ्य हमारे हाथों से चित्रण के योग्य होने के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। कई स्थानों पर आवश्यक संख्या में

अदालतें उपलब्ध नहीं हैं। कुछ स्थानों पर, बार के सदस्यों द्वारा बार-बार की जाने वाली हड़तालें कार्य अनुसूची में हस्तक्षेप करती हैं। संक्षेप में, चीजों की प्रकृति और वर्तमान परिस्थितियों में एक समय सीमा तय करना संभव नहीं है जिसके आगे आपराधिक कार्यवाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी रेखा खींचने से इनकार कर दिया है। अपील के तहत पटना पूर्ण पीठ के फैसले को छोड़कर, इस देश के किसी भी उच्च न्यायालय के इस तरह के विचार रखने वाले किसी अन्य फैसले को हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है। न ही, हमारी जानकारी के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम में। जहाँ कहीं भी त्वरित सुनवाई के अधिकार के उल्लंघन की शिकायत की जाती है, वहाँ अदालत को ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों सहित मामले की सभी परिस्थितियों पर विचार करना होता है और इस निर्णय पर पहुंचना होता है कि क्या वास्तव में कार्यवाही अन्यायपूर्ण रूप से लंबी अवधि से लंबित है। कई मामलों में, आरोपी स्वयं देरी के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ऐसे मामलों में उसे अपनी गलती का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। कुछ मामलों में, देरी हो सकती है जिसके लिए न तो अभियोजन पक्ष और न ही आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है, बल्कि व्यवस्था को ही दोषी ठहराया जा सकता है। इस तरह की देरी को भी अनुचित नहीं माना जा सकता-मोटे तौर पर कहें तो। बेशक, अगर यह एक मामूली अपराध है-एक आर्थिक अपराध नहीं होने के कारण-और देरी बहुत लंबी है, आरोपी के कारण नहीं, तो अलग-अलग विचार उत्पन्न हो सकते हैं। प्रत्येक मामले का निर्णय इसके आगे व्यक्त किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के तथ्यों पर किया जाना चाहिए। **उपरोक्त सभी कारणों से, हमारी राय है कि सभी आपराधिक कार्यवाही के समापन के लिए एक बाहरी समय-सीमा खींचना या निर्धारित करना न तो उचित है और न ही संभव है।**

यह त्वरित सुनवाई के अधिकार को प्रभावी बनाने के वास्ते अनिवार्य नहीं है। हम इस बात से भी संतुष्ट नहीं कि ऐसी बाहरी सीमा के बिना, अधिकार भ्रामक हो जाता है।

(जोर दिया गया)

पी. रामचंद्र राव 4 के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 27 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

“27. सीमा अवधि निर्धारित करना जिसके अंत में विचारण न्यायालय कार्यवाहियों को समाप्त करने और अभियुक्त को अनिवार्य रूप से विमुक्त या दोषमुक्त करने के लिए बाध्य होगा, और आगे, ऐसे निर्देश वर्तमान में और भविष्य के लिए सभी मामलों पर लागू करना विधान के बराबर होगा, जो हमारी राय में, न्यायिक निर्देशों द्वारा और संवैधानिक न्यायालयों को उपलब्ध न्यायिक कानून बनाने की शक्ति के क्षेत्र के भीतर नहीं किया जा सकता है, चाहे हम संविधान के अनुच्छेद 32, 21, 141 और 142 की कितना ही न उदारता से व्याख्या कर सकें। विभाजन रेखा ठीक है लेकिन अवगम्य। न्यायालय कानून की घोषणा कर सकते हैं, वे कानून की व्याख्या कर सकते हैं, वे स्पष्ट खामियों को दूर कर सकते हैं और कमियों को भर सकते हैं लेकिन वे विधायिका के लिए उचित रूप से बनाए गए कानून के क्षेत्र संस्थापित नहीं कर सकते हैं। एक प्रदत्त वाद या वादों के समूह में, न्यायालय के ध्यान में लाए गए सम्मिलित समय-सीमा निर्धारण या कार्यवाहियों के अनुपालन के वास्ते एक कैलेंडर तैयार करना, किए गए अन्याय से विमुक्ति या उल्लंघित अधिकारों पर ध्यान देने के वास्ते उचित निर्देश जारी करना एवं कानून के प्रवर्तन के वास्ते बाध्यकारी निर्देश जारी किया जा सकता है। न्यायपालिका के लिए ऐसा करने की अनुमति है। लेकिन यह, विधायिका की तरह, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय XXXVI के समान या उसके अनुरूप कोई प्रावधान लागू नहीं कर सकता है।

(जोर दिया गया)

निर्णय में निर्धारित सिद्धांत निचली अदालतों के समक्ष दीवानी मामलों पर भी लागू होंगे। यही सिद्धांत उच्च न्यायालयों को दैनिक आधार पर या एक विशिष्ट समय के भीतर मामलों का फैसला करने के लिए जारी किए गए निर्देश पर भी लागू होंगे। इस प्रकार, न्यायालय के निर्देश जो स्थगन के आदेश को स्वचालित रूप से समाप्त करने और उन सभी मामलों के निपटारे का प्रावधान करते हैं जिनमें दिन-प्रतिदिन के आधार पर स्थगन दिया गया है, वस्तुतः न्यायिक विधान के बराबर है। इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग इस तरह का न्यायिक कानून बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। केवल विधायिका यह प्रावधान कर सकती है कि किसी विशेष श्रेणी के मामलों का निर्णय एक विशिष्ट समय के भीतर किया जाना चाहिए। ऐसे कई कानून हैं जो ऐसे प्रावधानों को शामिल करते हैं। हालाँकि, ऐसे सभी प्रावधानों को आमतौर पर निर्देशिका माना जाता है।

29. आदर्श रूप से, जिन मामलों में दीवानी/आपराधिक मुकदमों की कार्यवाही को रोक दी जाती है, उनका उच्च न्यायालयों द्वारा तेजी से निपटारा किया जाना चाहिए। हालाँकि, हम एक आदर्श दुनिया में नहीं रहते हैं। इस तथ्य का न्यायिक नोटिस लेना होगा कि छोटे राज्यों पर अधिकार क्षेत्र वाले कम क्षमता वाले उच्च न्यायालयों को छोड़कर, प्रत्येक उच्च न्यायालय दीवानी और आपराधिक कार्यवाही में पारित अंतरिम आदेशों को चुनौती देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिकाओं से भरा हुआ है, आपराधिक कार्यवाही में पारित आदेशों को चुनौती देने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत याचिकाएं और दी.प्र.सं एवं दं.प्र.सं के तहत पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में दायर याचिकाएं। पीसी। इस तथ्य की न्यायिक सूचना लेनी होगी कि बड़े राज्यों पर अधिकार क्षेत्र वाले सभी अधिक क्षमता वाले उच्च न्यायालयों में, उपरोक्त श्रेणियों के मामलों की अलग-अलग पीठों की दैनिक कारण सूची सौ से अधिक मामलों

की होती है। इसलिए, एक बार जब उच्च न्यायालय द्वारा किसी मामले पर विचार किया जाता है और रोक लगा दी जाती है, तो मामले का जीवन लंबा होता है।

30. उच्च न्यायालयों में दीवानी और आपराधिक दोनों तरह की नियमित अपीलें बड़ी संख्या में दायर की जाती हैं। आखिरकार, उच्च न्यायालय कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों से निपटते हैं, जैसे कि बरी होने और दोषसिद्धि के खिलाफ आपराधिक अपील, जमानत याचिकाएं, रिट याचिकाएं और अन्य कार्यवाहियां जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के मुद्दों को शामिल करती हैं। उच्च न्यायालय वैवाहिक विवादों, दीवानी अदालतों के फरमानों के खिलाफ पुरानी अपीलों और अपीलीय फरमानों के खिलाफ अपीलों से निपटते हैं। ऐसे मामले हैं जहां वरिष्ठ नागरिक या दूसरी या तीसरी पीढ़ी के वादी पक्षकार हैं। उच्च न्यायालयों से अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि वे प्राथमिकता के आधार पर या दिन-प्रतिदिन के आधार पर केवल उन मामलों में निर्णय लें जिनमें कई अन्य श्रेणियों के मामलों की अनदेखी करते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है, जिन्हें अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता हो सकती है।

31. ट्रायल और जिला अदालतों में स्थिति और भी खराब है। 2002 में, अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य के बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में, इस न्यायालय ने एक आदेश पारित किया जिसमें निर्देश दिया गया कि बीस वर्षों के भीतर न्यायाधीश-से-जनसंख्या का अनुपात 50 प्रति मिलियन होना चाहिए। आज तक हम 25 प्रति मिलियन के अनुपात तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। इम्तियाज अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में जारी किए गए निर्देश 15 विचारण और जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करके राज्यों द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है। हमारे निचली अदालतों में लंबित मामलों के आंकड़े विचलित कर देने वाले हैं। विभिन्न श्रेणियों के मामले हैं, जिन्हें उनकी प्रकृति के

अनुसार सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जैसे कि जेल में अभियुक्तों के मामले और वरिष्ठ नागरिकों के मामले। उदाहरण के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 आदि जैसे कई कानून हैं जो मामलों के निपटारे के लिए विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करते हैं। हालाँकि, विशाल फाइलिंग और विचाराधीनता के कारण, हमारे न्यायालय कानून द्वारा प्रदान किए गए समय के भीतर मुकदमों को समाप्त नहीं कर सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में धारा 309 के रूप में एक प्रावधान है, जिसमें साक्ष्य की रिकॉर्डिंग शुरू होने के बाद आपराधिक मामलों की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर करने की आवश्यकता होती है। इसी धारा में प्रावधान है कि महिलाओं के खिलाफ कुछ गंभीर अपराधों के मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के दो महीने के भीतर मामलों का फैसला किया जाना चाहिए। दुर्भाग्य से, हमारे आपराधिक न्यायालय उक्त प्रावधान को लागू करने की स्थिति में नहीं हैं। भारी बकाया से निपटने के अलावा, हमारे निचली अदालतों को हमारे संवैधानिक न्यायालयों द्वारा समयबद्ध किए गए बड़ी संख्या में मामलों से निपटने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। इसलिए, सामान्य तौर पर, संवैधानिक न्यायालयों को किसी भी जिला या विचारण न्यायालय के समक्ष किसी मामले को एक समय अवधि के भीतर निपटाने का निर्देश देने की शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कई मामलों में, जमानत याचिका को अस्वीकार करते समय, मुकदमे के निपटारे के लिए एक समय सीमा इस आधार पर निर्धारित की जाती है कि याचिकाकर्ता लंबे समय तक कैद में रहा है यह महसूस किए बिना कि संबंधित निचली अदालत में कई लंबित मामले हो सकते हैं, अभियुक्तों को लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा है। यही तर्क उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों पर भी लागू होगा। जब हम उच्च न्यायालयों को समयबद्ध तरीके से मामलों का निर्णय करने का निर्देश देने की ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हैं, तो हम उक्त न्यायालयों में पुराने

मामलों जिन्हें प्राथमिकता देने की आवश्यकता होती है के लंबित होने की सटीक स्थिति से अवगत नहीं होते हैं,। जमानत याचिकाएं लंबे समय से लंबित हैं। दोषसिद्धि के खिलाफ अपीलें लंबित हैं जहां अपीलार्थियों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया है।

32. इसलिए, संवैधानिक न्यायालयों को आम तौर पर किसी भी न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक समयबद्ध अनुसूची निर्धारित नहीं करनी चाहिए। उच्च न्यायालयों सहित प्रत्येक न्यायालय में लंबित विभिन्न श्रेणियों के मामलों की लंबितता का स्वरूप अलग-अलग होती है। जमीनी स्तर पर स्थिति संबंधित न्यायालयों के न्यायाधीशों को बेहतर पता है। इसलिए, कुछ मामलों को बारी से पूर्व प्राथमिकता देने का मुद्दा संबंधित न्यायालयों पर छोड़ देना सबसे अच्छा होना चाहिए। मामलों के निपटारे के लिए बाहरी सीमा निर्धारित करने वाले आदेश असाधारण परिस्थितियों से निपटने के लिए केवल अपवादात्मक हालात में ही पारित किए जाने चाहिए।

33. उक्त दृष्टिकोण को अपनाने का एक और महत्वपूर्ण कारण है। प्रत्येक वादी आसानी से संवैधानिक न्यायालयों में कार्यवाही दायर करने के लिए समर्थ हो सकता है। वे वादी जो संवैधानिक न्यायालयों का रुख करने में समर्थ उन्हें अपने मामलों के निपटारे के लिए बारी से पूर्व निर्देश देने वाले आदेश प्राप्त कर अनुचित लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जबकि अन्य सभी वादी धैर्यपूर्वक अपनी बारी आने के लिए कतार में प्रतीक्षा करते हैं। न्यायिक पदानुक्रम में श्रेष्ठ न्यायालय यह निर्देश देकर अन्य न्यायालयों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं कि केवल कुछ मामलों का बारी-से-पूर्व निर्णय समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। एक अर्थ में, कोई भी न्यायालय दूसरे से कमतर नहीं है। यह न्यायालय न्यायिक पदानुक्रम में उच्च न्यायालयों से श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को तर्कसंगत

आधार पर अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस प्रकार, जहाँ तक बाहरी सीमा निर्धारित करने का संबंध है, इसे संबंधित न्यायालयों पर सबसे अच्छा छोड़ दिया जाना चाहिए जब तक कि बहुत असाधारण परिस्थितियाँ न हों।

IX. कार्यवाहियों पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित करते समय और अंतरिम रोक हटाने के लिए आवेदनों से निपटने के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

34. उसी समय, हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक बार उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे पर रोक लगाने के बाद, उच्च न्यायालय को मुख्य मामले का फैसला करने में बहुत लंबा समय लगता है। विरोधी पक्षों के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह से बचने के लिए, प्रभावित पक्षों को सुने बिना एकतरफा अंतरिम राहत देते समय, उच्च न्यायालयों को आम तौर पर सीमित अवधि के लिए अंतरिम राहत देनी चाहिए। प्रतिद्वंद्वी पक्षों को सुनने के बाद, न्यायालय पहले के अंतरिम आदेश की पुष्टि कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। अंतरिम राहत, एक बार दिए जाने के बाद, संबंधित न्यायालय द्वारा विचारण के आवेदन के बाद ही खाली या पुष्टि की जा सकती है। इसलिए, अदालतों को अंतरिम राहत के लिए अनुरोध की सुनवाई को आवश्यक प्राथमिकता देनी चाहिए, जहां अंतरिम राहत दी गई है। यद्यपि उच्च न्यायालय से अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह स्थगन या अंतरिम राहत प्रदान करने के अनुरोध पर विचार करते समय विस्तृत कारणों को दर्ज करेगा, लेकिन आदेश को प्रासंगिक कारकों पर विचार के अनुप्रयोग का पर्याप्त संकेत देना चाहिए।
35. प्रतिवंदी पक्षों को सुनने के बाद पारित एक अंतरिम आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा उस पक्ष को सुनने का पर्याप्त अवसर दिए बिना खाली नहीं किया जा सकता है

जिसकी अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की गई है। भले ही दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम राहत दी जाती है, जैसा कि पहले देखा गया है, पीड़ित पक्ष उपलब्ध आधारों पर इसे खाली करने के लिए आवेदन करने से वंचित नहीं है। ऐसे मामले में, उच्च न्यायालय को रोक हटाने के लिए आवेदनों की सुनवाई को आवश्यक प्राथमिकता देनी चाहिए, यदि मुख्य मामले को तुरंत सुनवाई के लिए नहीं लिया जा सकता है। अंतरिम राहत को खाली करने के लिए आवेदनों को अत्यधिक लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय यह निर्देश देने के आसान विकल्प का सहारा नहीं ले सकते हैं कि इसकी सुनवाई मुख्य मामले के साथ की जानी चाहिए। वही सिद्धांत लागू होंगे जहाँ अंतरिम राहत दी जाती है। यदि कोई अंतरिम आदेश लंबे समय तक जारी रहता है, तो प्रभावित पक्ष हमेशा अंतरिम राहत खाली करने के लिए आवेदन कर सकता है। उम्मीद की जाती है कि उच्च न्यायालय भी इस तरह के आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करेगा। यदि तथ्यों को दबाने के आधार पर एकतरफा विज्ञापन अंतरिम राहत को खाली करने के लिए आवेदन दायर किया जाता है, तो इसे जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए।

डी. निष्कर्ष

36. इसलिए, मामले का फैसला करने वाली पीठ के प्रति सबसे बड़े सम्मान के साथ, हम एशियन रिसर्फेसिंग 1 के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 36 और 37 में जारी निर्देशों से सहमत नहीं हैं। हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय द्वारा दी गई रोक को स्वतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। हम उन सभी मामलों पर निर्णय लेने के लिए जारी किए गए निर्देश को मंजूरी नहीं देते हैं जिनमें एक समय सीमा के भीतर दिन-प्रतिदिन के आधार पर अंतरिम रोक दी गई है। हमारा मानना है कि इस तरह के व्यापक निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में जारी नहीं

किए जा सकते हैं। हम ऊपर पैराग्राफ 5 में दिए गए दोनों प्रश्नों का उत्तर नकारात्मक देते हैं।

37. हम जो पहले मान चुके हैं, उसके अधीन, हम अपने मुख्य निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं:

ए. एक निर्देश कि प्रत्येक उच्च न्यायालय द्वारा पारित कार्यवाही पर रोक लगाने के सभी अंतरिम आदेश स्वचालित रूप से केवल समय बीतने के कारण समाप्त हो जाते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जारी नहीं किया जा सकता है।

बी. भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण मानदंड जो संदर्भ तय करने के लिए प्रासंगिक हैं, वे इस प्रकार हैं:

(i) न्यायालय के समक्ष पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जा सकता है। इसका उपयोग बड़ी संख्या में वादियों द्वारा उनके पक्ष में वैध रूप से पारित न्यायिक आदेशों के आधार पर प्राप्त लाभों को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के पक्षकार नहीं हैं।

(ii) अनुच्छेद 142 इस न्यायालय को वादियों के मूल अधिकार इन प्रावधानों की अनदेखी करने का अधिकार नहीं देता है।

(iii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, यह न्यायालय हमेशा न्यायालयों को प्रक्रियात्मक पहलुओं को सुव्यवस्थित करने और मामलों का शीघ्र और समय पर निपटान

सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक कानूनों में खामियों को दूर करने के लिए प्रक्रियात्मक निर्देश जारी कर सकता है। हालाँकि, ऐसा करते समय, यह न्यायालय उन वादियों के मूल अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता है जो उसके समक्ष मामले में पक्षकार नहीं हैं। प्रतिकूल आदेश पारित किए जाने से पहले सुनवाई का अधिकार प्रक्रिया का विषय नहीं है, बल्कि एक मूल अधिकार है; और

(iv) अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति का उपयोग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है, जो हमारे न्यायशास्त्र का एक अभिन्न अंग हैं।

सी. संवैधानिक न्यायालयों को, सामान्य रूप से, किसी भी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों के निपटारे के लिए एक समयबद्ध अनुसूची निर्धारित करने से बचना चाहिए। संवैधानिक न्यायालय केवल असाधारण परिस्थितियों में ही मामलों के समयबद्ध निपटान के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं। मामलों के निपटारे को प्राथमिकता देने का मुद्दा संबंधित न्यायालयों के निर्णय पर सबसे अच्छा छोड़ दिया जाना चाहिए जहां मामले लंबित हैं; और

डी. अंतरिम राहत प्रदान करने की प्रार्थनाओं पर विचार करते समय, उच्च न्यायालयों को उपरोक्त पैराग्राफ 34 और 35 में शामिल दिशानिर्देशों पर विचार करना चाहिए।

38. हम स्पष्ट करते हैं कि जिन मामलों में विचारण केवल एशियन रिसर्फेसिंग 1 के मामले में निर्णय के आधार पर ठहरने की स्वचालित छुट्टी के परिणामस्वरूप संपन्न हुए हैं, उनमें ठहरने की स्वचालित छुट्टी के आदेश मान्य रहेंगे।

39. संदर्भ का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है। हम रजिस्ट्री को लंबित याचिकाओं को शीघ्र निपटान के लिए उपयुक्त पीठों के समक्ष रखने का निर्देश देते हैं।

पंकज मित्तल, न्यायाधीश

1. अपने भाई न्यायमूर्ति ओका द्वारा अपने और माननीय मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य कनिष्ठ न्यायाधीशों के लिए व्यक्त की गई राय से सहमति व्यक्त करते हुए, मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1, मैं यह न्यायालय उसमें उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर निर्णय लेते समय यह देखते हुए और निर्देश देते हुए आगे बढ़े कि जहां आदेश तैयार करने के आरोप को चुनौती दी जाती है और रोक दी जाती है, तो मामले का निर्णय दिन-प्रतिदिन के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि रोक अनावश्यक रूप से लंबे समय तक जारी न रह सके। यह आगे देखा गया कि हालांकि इस तरह की चुनौती पर निर्णय लेने के लिए कोई अनिवार्य समय सीमा तय नहीं की जा सकती है, लेकिन स्थगन आदेश आम तौर पर दो से तीन महीने या अधिकतम छह महीने से अधिक नहीं हो सकता है जब तक कि इसे विशिष्ट बोलने के आदेश द्वारा नहीं बढ़ाया जाता है। आगे निर्देश जारी किए गए कि उच्च न्यायालय या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम या अन्य सभी दीवानी या आपराधिक मामलों से संबंधित अन्य न्यायालयों के समक्ष सभी लंबित मामलों में जहां मुकदमों में रोक चल रही है, यह छह महीने के बाद स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा जब तक कि इसे बढ़ाने के लिए एक बोलने वाला आदेश पारित नहीं किया जाता है। विचारण न्यायालय उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर किसी सूचना की प्रतीक्षा किए बिना कार्यवाही फिर से शुरू कर सकता है जब तक कि स्थगन बढ़ाने का स्पष्ट आदेश न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत पूर्ण न्याय करने की शक्ति का प्रयोग करते हुए जारी किए गए एशियन रिसर्फेसिंग में उपरोक्त निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के खंड (3) में निहित संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप हैं, जिसे संविधान (44 वां संशोधन) अधिनियम, 1978 द्वारा 1.8.1979 से प्रभावी रूप से जोड़ा गया है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाए:

“(3) जहां कोई भी पक्ष जिसके खिलाफ अंतरिम आदेश, चाहे वह निषेधाज्ञा या स्थगन के माध्यम से हो या किसी अन्य तरीके से, खंड (1) के तहत याचिका पर या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में, बिना -

(ए) ऐसी अंतरिम आदेश के लिए याचिका के समर्थन में ऐसी याचिका की प्रतियां और सभी दस्तावेज ऐसे पक्ष को प्रस्तुत करना; और

(बी) ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर देना, उच्च न्यायालय में ऐसे आदेश को समाप्त करने के लिए आवेदन करता है और उस पक्ष को, जिसके पक्ष में ऐसा आदेश दिया गया है, या ऐसे पक्ष के वकील को ऐसे आवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करता है, उच्च न्यायालय उस आवेदन का निपटान उस तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर करेगा जिस दिन वह प्राप्त हुआ है या उस तारीख से जिस दिन उस आवेदन की प्रति इस तरह प्रस्तुत की गई है, जो भी बाद में हो, या जहां उच्च न्यायालय उस अवधि के अंतिम दिन बंद है, अगले दिन की समाप्ति से पहले, जिस दिन उच्च न्यायालय खुला है; और यदि आवेदन का इस तरह निपटान नहीं किया जाता है, तो अंतरिम आदेश, उस अगले दिन की समाप्ति पर समाप्ति पर, या, जैसा भी मामला हो, उक्त अवधि की समाप्ति पर होगा।

3. इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपरोक्त प्रावधान उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिकाओं के संबंध में है जो न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का आह्वान करते हैं और विशेष रूप से अन्य कार्यवाहियों पर लागू होने के लिए नहीं है, फिर भी उक्त प्रावधान के पीछे के सिद्धांतों को हमेशा अन्य कार्यवाहियों तक बढ़ाया जा सकता है जैसा कि एशियन रिसर्फेसिंग में किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि जहां भी किसी कानून के तहत ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है या कार्यवाही की किसी विशेष प्रकृति को तय करने के लिए निर्धारित की गई है, उसे अनिवार्य के बजाय प्रकृति में निर्देशिका माना गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (3) की प्रयोज्यता के संबंध में स्थिति ऐसी प्रतीत होती है।
4. यह सर्वविदित है कि न्यायालय की किसी भी गलती या गलती के कारण किसी को भी पीड़ित नहीं किया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि कार्यवाही या उसमें किसी भी आवेदन पर निर्णय लेने में न्यायालय की ओर से देरी भी मुकदमे के किसी भी पक्ष के लिए हानिकारक नहीं होगी, कम से कम उस पक्ष के लिए जिसके पक्ष में अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया जाता है।
5. कानून में यह तय किया गया है कि अंतरिम स्थगन आदेश का अनुदान सामान्य रूप से एक बोलने वाले आदेश द्वारा होना चाहिए और इसलिए एक आवश्यक परिणाम के रूप में, एक बार दिए गए स्थगन आदेश को बोलने वाले आदेश के अलावा खाली नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से, जब इसके विस्तार के लिए भी कारण दर्ज करने की आवश्यकता होती है।
6. यह ध्यान देने योग्य है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 (3) के तहत, स्थगन आदेश की स्वतः समाप्ति अंतरिम स्थगन आदेश को हटाने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन करने की परिकल्पना करती है। इसलिए, ठहराव आदेश को खाली करने के

लिए आवेदन दायर करना ठहराव 988 की स्वचालित छुट्टी को शुरू करने के लिए अनुच्छेद 226 (3) के तहत एक अनिवार्य(शर्त) आदेश है यदि इस तरह के आवेदन पर दो सप्ताह के निर्धारित समय के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है।

7. दूसरे शब्दों में, उपरोक्त सादृश्य या सिद्धांत को लागू करते हुए, किसी भी कार्यवाही में दिया गया स्थगन आदेश स्वचालित रूप से किसी विशेष अवधि की समाप्ति पर तब तक खाली नहीं होगा जब तक कि उस प्रभाव का आवेदन दूसरे पक्ष द्वारा दायर नहीं किया जाता है और एक बोलने वाले आदेश द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए निर्णय नहीं लिया जाता है।
8. कभी-कभी न्याय की तलाश में हम अन्याय करते हैं। एशियन रिसर्फेसिंग इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। इस तरह की स्थिति से सामान्य रूप से बचना चाहिए या यदि यह उत्पन्न होती है तो इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए। ऐसा करने में, हमें एक तकनीकी दृष्टिकोण के बजाय एक व्यावहारिक और अधिक प्रयोगिक दृष्टिकोण अपनाना होगा जो अदालतों पर अनावश्यक या बेकार फालतू काम का बोझ डालने वाली अधिक समस्याएं पैदा कर सकता है। यह अच्छी तरह से कहा जाता है कि बेकार काम उपयोगी काम को बाहर निकाल देता है। तदनुसार, न्याय के हित में यह प्रावधान करना समीचीन है कि किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही में एक बार दिया गया एक तर्कपूर्ण स्थगन आदेश, यदि समयबद्ध होने के लिए निर्दिष्ट नहीं है, तो मुख्य मामले के निर्णय तक या जब तक नहीं और जब तक कोई आवेदन उसके अवकाश के लिए संचालित किया जाता है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए एक बोलने वाला आदेश या तो उसे विस्तारित, संशोधित, परिवर्तित या खाली करने के वास्ते पारित नहीं किया जाता है।

9. इस न्यायालय को दिए गए संदर्भ का उत्तर दिया जाता है और तदनुसार निपटाया जाता है।

हेडनोट द्वारा तैयार किया गया: अंकित ज्ञान

मामले का परिणाम:

संदर्भ में जवाब दिया।

* लेखक

* एड नोट: मूल निर्णय के अनुसार पृष्ठांकन

1. [2018] 2 एस सी आर 1045 : (2018) 16 एस सी सी 299
2. [1968] 2 एस सी आर 685 : ए आई आर 1968 एस सी 299
3. [1991] पूरक 3 एस सी आर 325 : (1992) 1 एस सी सी 225
4. [2002] 3 एस सी आर 60 : (2002) 4 एस सी सी 578
5. [2021] 4 एस सी आर 1 : (2021) 7 एस सी सी 413
6. [1965] 1 एस सी आर 970 : ए आई आर 1965 एस सी 895
7. [2005] 3 एस सी आर 289 : (2005) 4 एस सी सी 480
8. [1983] 1 एस सी आर 1000 : (1983) 1 एस सी सी 147
9. [2004] 3 एस सी आर 920 : (2004) 4 एस सी सी 697
10. [1963] पूरक 1 एस सी आर 885 : 1962 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 37
11. [1998] 2 एस सी आर 795 : (1998) 4 एस सी सी 409
12. [2004] पूरक 1 एस सी आर 494 : (2004) 5 एस सी सी 1
13. [1997] 2 एस सी आर 1186 : (1997) 3 एस सी सी 261
14. [2002] 2 एस सी आर 712 : (2002) 4 एस सी सी 247